रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2543] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 5, 2019/श्रावण 14, 1941
No. 2543] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 5, 2019/SHRAVANA 14, 1941

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 2019

का.आ. 2797(अ).—प्रारूप अधिसूचना भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 4894 (अ), तारीख 18 सितम्बर, 2018 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनको उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की अवधि के भीतर, आपत्ति और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 18 सितम्बर, 2018 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, प्रारूप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे;

शेरावती घाटी वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक राज्य के सगारा तालुक के शिवमोग्गा जिला में अक्षांश 13⁰ 54' से 14˚ 12' उत्तर और देशांतर 74⁰ 38' से 75˚ 00' पूर्व के बीच स्थित है। और इसे सरकारी आदेश सं. ए एफ डी70/एफ डब्ल्यू एल 71/दिनांक 20 अप्रैल, 1972 द्वारा अधिसूचित किया गया था और एएफडी/12/एफडब्ल्यूएल/74 दिनांक 27 जून, 1974 द्वारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अधीन अंतिम अधिसूचना के साथ इसका क्षेत्रफल 431.23 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है । सगारा क्षेत्रीय संभाग से **6** राज्य वन**,** पनडुवली क्षेत्र और द्वीपों को लेने के बाद 16 अप्रैल, 1987 से वन्यजीव संभाग स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा है**;**

और, शेरावती घाटी वन्यजीव अभयारण्य का भौगोलिक क्षेत्रफल 431.23 वर्ग किलोमीटर है; जिसमें से 123.63 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शेरावती जलाशय के फैले जल के अधीन है। यह क्षेत्र नम पर्णपाती, अर्ध सदा हरित, शोला वनों और 'पश्चिम

घाट' की सयार्दि पहाड़ियों के सदाहरित वनों द्वारा आच्छादित है; जो वन ट्रैक का शानदार और मूल्यवान भाग है। अत्यधिक जैवीय दबाव के बावजूद अभयारण्य के भाग अपनी प्राचीन, सघन और विविधता पूर्ण वनस्पति को बनाए रखने में समर्थ रहे हैं। इसलिए, यह पूर्ण रूप से अनिवार्य है कि विद्यमान संसाधनों को न केवल प्रभावी रूप से संरक्षित किया जाए किंतु संसाधनों में और सुधार लाने के लिए समुचित कदम भी उठाए जाएं;

और, अभयारण्य में वनस्पति और जीवजंतु दोनों की विभिन्नता और विविधता अत्यधिक समृद्ध है इन वनों में मूल्यवान वृक्ष प्रजातियां हैं जिसमें सागौन, चंदन; रोजवुड, हनी, नंदी आदि शामिल हैं और यह वन्यजीव जैसे जंगली भैंसा, चित्तीदार हिरण, सांभर, बाघ और अजगर को आश्रय देता है। यह क्षेत्र सरीसृपों और पक्षीवृंद संख्या में भी बहुत समृद्ध है। पहाड़ी क्षेत्र शेरावती नदी, छोटे और बडे नालों के साथ बेसिन के लिए जलग्रहण क्षेत्र का निर्माण का भी कार्य करता है। इस अभयारण्य में अनेक जड़ी-बूटियां, झाडियां, फर्न और घास है जिनमें से कुछ का सर्वेक्षण और सूचीबद्ध किया जाना है;

और, शेरावती घाटी वन्यजीव अभयारण्य में स्तनधारियों की दुर्लभ, लुप्तप्राय और संकटापन्न प्रजातियां जैसे बाघ *(पैंथेरा टीगरिस)*, धोले *(कुउन अलपिनुस)*, *मालाबारा* सिविट *(विवेर्रा सिवेट्टिना)*, भूरा मुसंग *(परादाक्यरूस जरदोनि)*, *रूस्टय स्पोट्टेड कैट (पिरिओनाइलुरूस रूबिगिनोसूस)*, *लाइउन टइलेड मकाक्यू (मकाका सिलेनुस)*, *ओरिएंटल* चलावड ओटर *(ओंयक्स किनेराराय)*, *स्मूथ कोउटेड ओटेर (लुटरोगले पेरस्पिकिल्लाटा)*, *हाथी(एलिफस मक्सुस)*, *दुस्केय स्टरिपेड स्कयूरेल (फुनाम्बुलुस सुबलिनेटुस)* आदि पाए जाते हैं;

और, शेरावती घाटी वन्यजीव अभयारण्य में सरीसृपों, उभयचरों और पक्षियों की दुर्लभ, लुप्तप्राय और संकटापन्न प्रजातियां जैसे मार्श मगरमच्छ (*क्रोकोडयल पलुस्टरिस*), बेडोमेस टोड *(दुट्टाफरयनुस बेद्दोमि)*, मालाबार टोर्रेंट टोड *(घटोफरयने ओर्नट)*, सह्यदरिफेजेवरया *(फेजेरवारया साह्यादरिस)*, मुद्दुराजा क्रिकेट फ्रोग *(फेजेर्वारिया मुद्द राजा)*, मांगालोरे क्रिकेट फ्रोग *(फेजेरवारया गरानोसा)*, मालाबार ट्री टोड *(पेदोस्टिबेस तुबेरकुलोसुस)*, मारबलेड रमानेल्ला *(रामनेल्ला मोरमोराटा)*, जोग नाइट फ्रोग *(नयकटीबटराचुस जोग)*, हुमायुस नाइट फ्रोग *(नयकटीबटराचुस हुमायनि)*, अम्बोली बुस फ्रोग *(पसेउदोफिलाउट्टस अम्बोलि)*, वयनाड बुस फ्रोग *(पसेउदोफिलाउट्टस वयनादेंसिस)*, कर्नाटका बुब्बले नेस्ट फ्रोग *(रओरचेस्टेस चरिउस)*, पोंमुदी बुस फ्रोग *(रओरचेस्टेस पोंमुदी)*, स्मोल ट्री फ्रोग *(रहाकोफोरूस लटेरालिस)*, किंग कोबरा *(ओफिओफगुस नान्नाह)*, विटकर्स बोअ *(इरयक्स विटकेरी)*, ब्लैक बिल्ड शिल्ड टेल *(टरेटरूरूस संगुइनेउस)*, वयनाड शिल्ड टेल *(मेलानोफिदिउम वयनाउदेंसे)*, वूल्ली नेक्केड स्ट्रोक *(किकोनिया इपिस्कोपुस)*, लेस्सेर एडजटेंट स्ट्रोक *(लेप्टोप्टिलोस जवानिकुस)*, *शाहिन फल्कोन* (फलको पेरेगरिनेस पेरेगरनाटोर) आदि पाई जाती हैं;

और, शेरावती घाटी वन्यजीव अभयारण्य में पाई जाने वाली वनस्पति की दुर्लभ, लुप्तप्राय और संकटापन्न प्रजातियां फरांगिपानी वाइन *(चोनेमोरफा ग्रांजीफ्लोरा रोथ)*, शर्पगंधा *(रउवोलफिया सेर्पेंथिन एल.* बेंथ. कुर्ज.), (रफिदोफोरा लासिनियाटा एन. बुर्न मेर्रिल्ल), ब्लैक दुम्मार *(कनारियम स्टरिकतुम रोक्सब.)*, अशोका ट्री *(सराका असोका* रोक्ब. दे विल्दे), कोकुम *(गरकिनिया इंडिका* थोउरस चोइसी), मयसोरा गैमबोगेश *(गरकिनिया मोरेल्ला* गैरथ देसर.), कम्बि गुम ट्री *(गरदेनिया गुम्मिफेरा लिन्न.)*, *(दीपटरोकेरपुस इंडिकुस बैडड.)*, पोंगा *(होपेया पोंगा देन्नस्ट.* माब्बेरलेय), सलधोपा *(वेटरिया इंडिका एल.)*, *(दीओस्पयरोस कंदोल्लेअना वट.)*, पनिकलेड इबोंय *(दीओस्पयरोस पनिकुलाटा डाल्ज.)*, जुंगले आलमंड *(हयदनोकरपुस पेंटंदरा* बुस-हम. ओकेन), सलाकिया *(सलाकिया ओबलोंगा वाल्ल)*, घनेरा *(नोथपोदयटेस निम्मोनिअना* (ग्राहम. माब्ब), लार्ज फलोवेरेड बार्य ट्री *(पेरेअम अकरांथा* निस कोस्टेर्म), *(दयसोक्यलुम मालाबरिकुम बेड्ड.)*, वाइल्ड जैक *(अरटोकरपुस हीर्सुटुस लम.)*, बिट्टेर नुटमेग *(मयरीस्टीका दकटयलोइदेस गैर्टन.)*, रोसवुड *(दाल्बेरगिया लैटीफोलिया रोक्ब.)*, *(प्सेउदरथरिया विस्किदा* एल. विघट एण्ड अर्न.), होंदाला *(अदेनिया होंदाला* गैर्टन. दे विल्दे), वाइट सैंडलवुड *(शंतलुम अल्बुम लिन्न.)*, *(पटेरोस्पेरमुम रेटीकुलातुम वट. एण्ड अर्न)*, लोधरा *(स्यम्पलोकोस रेकेमोका रोक्सब.)*, *(अफनांथे कुस्पिदाते* बल. पलांच.), हील्ल टरमेरिक *(करकुमा पसुइदोमोटाना जे.* ग्राहम) आदि हैं;

और, शेरावती घाटी वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाऐं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना और उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन और प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमे इसके पश्चात् पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की उपधारा (1) तथा धारा 3 की उपधारा (2) और उपधारा (3) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक राज्य में शेरावती वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर एक (1.0) किलोमीटर से 13.80 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को शेरावती वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमाएं**--(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार शेरावती घाटी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर एक (1.0) किलोमीटर से 13.80 किलोमीटर तक फैला हुआ है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 530.72 वर्ग किलोमीटर है; जो कि आरक्षित/ अधिसूचित वनों के द्वारा 256.11 वर्ग किलोमीटर में आच्छादित है।

(2) शेरावती घाटी वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध I** के रूप में संलग्न है।

(3) सीमा विवरण और अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के शेरावती घाटी वन्यजीव अभयारण्य का मानचित्र **उपाबंध-IIक ,उपाबंध-IIख ,उपाबंध-IIग** और **उपाबंध-IIघ** के रूप में संलग्न है।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और शेरावती घाटी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के भू निर्देशांकों की सूची- **उपाबंध-III** की सारणी **क** और सारणी **ख** में दी गई है।

(5) मुख्य बिंदुओं के भू-निर्देशांकों और उनके क्षेत्र के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों, वन संलग्न ग्रामों और संरक्षित/आरक्षित की सूची **उपाबंध-IV** के सारणी **क**, सारणी **ख** और सारणी **ग** के रूप में संलग्न है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.– (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए, राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोद के लिए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना ऐसी रीति से जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए है के अनुसार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, के द्वारा तैयार होगी।

(3) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी बातों को समाकलित करने के लिए इसे राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:-

(i) पर्यावरण;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) कृषि;

(iv) राजस्व;

(v) शहरी विकास;

(vi) पर्यटन;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिक;

(x) पंचायती राज;

(xi) लोक निर्माण विभाग;

(xii) राजमार्ग; और

(xiii) कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

(4) आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन नहीं लगाया जाएगा जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, तथा आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी-अनुकूल हों का संवर्धन करेगी।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।

(6) आंचलिक महायोजना प्रस्तावित भू-उपयोग की विशेषताओं के ब्यौरे से अनुसमर्थित मानचित्र के साथ विद्यमान और सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों और उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्ययान, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का अभ्यंकन करेगी।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और सारणी में सूचीबद्ध पैरा 4 में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का अनुपालन करेगी और स्थानीय समुदायों की जीविका में सुरक्षित करने के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास को सुनिश्चित और उसकी अभिवृद्धि भी करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना, प्रादेशिक विकास योजना की सह-विस्तारी होगी ।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना, इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार समिति के अपने कार्यों के करने के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:--

(1) **भू-उपयोग.–** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु यह कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्राम उद्योग भी है; सुविधाजनक भंडार और स्थानीय सुविधाएं सहायक पारिस्थितिकी पर्यटन जिसके अंतर्गत ग्रह वास सम्मिलित है; और

(v) पैराग्राफ 4 के अधीन दिए गए संवर्धित क्रियाकलाप:

परंतु यह और कि प्रादेशिक नगर योजना अधिनियम और राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात किसी त्रुटि को, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार ठीक होगी और उक्त गलती के सुधार की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी।

परंतु यह और कि गलती के संशोधन में, इस उप-पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा।

(ख) वनीकरण तथा वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों सहित अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत.**- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्त्रोतों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के बारे में जो ऐसे क्षेत्रों के लिए अहितकर हो ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किएं जाएंगे।

(3) **पर्यटन/पारिस्थितिकी पर्यटन.–** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए होगा;

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य पर्यटन विभाग द्वारा राज्य पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी;

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी;

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जाएगी;

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात् :-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट होकिसी , नये होटल या रिजॉर्ट का सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परन्तु, यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक नए होटलों और रिर्सोटों का स्थापना पूर्व परिभाषित और नामनिर्दिष्ट क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुज्ञात होगा;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी-पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देते हुए (समय-समय पर यथा संशोधित) जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित

विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी नए होटल/रिजॉर्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(4) **प्राकृतिक विरासत.**– पारिस्थितिकी संवेदी जोन में बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवन, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अवरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति-क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण.**– पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण), नियम 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण और निवारण का अनुपालन किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण, का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण संबंधी साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, इनमें जो भी अधिक कठोर हों, के उपबंधों अनुसार किया जाएगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.-** ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 के द्वारा प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों (ईएसएम) का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.**- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधो के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि

317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई–अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट का प्रबंधन का निपटान भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय-समय पर यथा संशोधित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय-यातायात.-** यानीय-गतिविधियों आवा-अनुकूल तरीके से विनियमित होगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों और उनके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय-गतिविधियों के अनुपालन की मानीटरी करेगी।

(15) **यानीय प्रदूषण.-** यानीय प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा और स्वच्छक ईंधन के उपयोग के प्रयास किए जाएंगे ।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां.-** (i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी;

(ii) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्गदर्शक सिद्धांतो में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण.-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों पर उन क्षेत्रों का संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण अधिनियम, के उपबंधों और उसके अधीन बनाये गये नियमों जिसके अंतर्गत तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड) अधिसूचना, 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 सहित उसके अधीन बने नियमों और अन्य लागू विधियों के जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सम्मिलित है और किये गए संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात्:-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां ।	(क) वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होगा ;

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
		(ख) खनन प्रचालन, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में प्रचालित होगी।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) उत्पन करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी: परन्तु यह कि, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी 2016, में जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार जब तक कि अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हो पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।
3.	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
4.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
5.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
6.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
7.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का उपयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
	ख. विनियमित क्रियाकलाप	
8.	वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परन्तु यह कि, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की विस्तार तक इनमें जो भी निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप होगा।
9.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु यह कि, स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
		निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप-पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी । परन्तु यह कि, गैर–प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे । (ख) एक किलोमीटर से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।
10.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016, में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग तथा अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या कृषि आधारित उद्योग, जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाते हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
11.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम और उनके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होंगे ।
12.	फर्मों, कारपोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित (अन्यथा प्रदान किए) होंगे।
13.	विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण और केबल-बिछाना तथा अन्य अवसंरचनाएं।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा (भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा)।
14.	नागरिक सुख सुविधाओं सहित अवसंरचनाएं।	न्यूनीकरण सिद्धांत लागू विधियों, नियमों, विनियमों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुसार न्यूनीकरण उपायों को किया जाना।
15.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, और उन्हें सुदृढ बनाना और नई सड़कों का निर्माण करना।	न्यूनीकरण सिद्धांत लागू विधियों, नियमों, विनियमों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुसार न्यूनीकरण उपायों को किया जाना।
16.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
	उडाना आदि।	
17.	पहाड़ी ढलानों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा ।
18.	रात्रि में सड़क यानिक का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा ।
19.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ दुग्धशाला, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
20.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण ।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
21.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक और निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा ।
22.	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुले कुएं/ बोर कुएं आदि का निर्माण ।	समुचित प्राधिकारी द्वारा विनियमित किया जाएगा तथा क्रियाकलाप की सख्त मानीटरी की जाएगी।
23.	ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा ।
24.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा ।
25.	पोलिथीन बैगों का प्रयोग ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा ।
26.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा ।
27.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रह ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा ।
28.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा ।
	ग. संवर्धित क्रियाकलाप	
29.	वर्षा जल संचय ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
30.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
31.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का ग्रहण करना।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
32.	कुटीर उद्योग जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगरी भी है।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत और ईंधन का उपयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
35.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
	उपयोग ।	
37.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	निम्नीकृत भूमि/वनों/ प्राकृतिक वास का जीर्णोद्धार।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	पर्यावरण के प्रति जागरूकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन की अधिसूचना की मानीटरी के लिए मानीटरी समिति .- केन्द्रीय सरकार पर्यावरण अधिनियम (संरक्षण) 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी मानीटरी के लिए मानीटरी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात, मानीटरी समिति का गठन करती है:-

क्र. सं.	मानीटरी समिति का गठन	पद
(i)	क्षेत्रीय आयुक्त, बेंगलुरु	अध्यक्ष, *पदेन*;
(ii)	माननीय विधान सभा सदस्य, सागर* निर्वाचन क्षेत्र, शिवमोग्गा जिला	सदस्य;
(iii)	माननीय विधान सभा सदस्य, होन्नावारा* निर्वाचन क्षेत्र उत्तरा कंनाडा जिला	सदस्य;
(iv)	पर्यावरण विभाग, कर्नाटक सरकार का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(v)	शहरी विकास विभाग, कर्नाटक सरकार का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(vi)	कर्नाटक सरकार द्वारा नामित पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहे एनजीओ का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(vii)	क्षेत्रीय अधिकारी, कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, शिवमोग्गा	सदस्य;
(viii)	कर्नाटक सरकार द्वारा पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ नामित किया जाएगा	सदस्य;
(ix)	उपायुक्त या उनके प्रतिनिधि, शिवमोग्गा	सदस्य;
(x)	राज्य सरकार द्वारा नामित जैव विविधता का एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(xi)	राज्य लोक निर्माण विभाग का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(xii)	उप संरक्षक वन्यजीव संभाग, शिवमोग्गा	सदस्य सचिव।

*(बशर्ते कि कर्नाटक राज्य सरकार अन्य बातों के साथ-साथ आवश्यक होने पर विधानसभा के अध्यक्ष की अनुमति सहित संगत अनुमोदन प्राप्त करे)

6. निर्देश-निबंधन:- (1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की मानीटरी करेगी।

(2) मानीटरी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुनर्गठन किए जाने तक होगा और इसके बाद मानीटरी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में अन्तर्गत है सम्मिलित क्रियाकलापों और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा

विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त या संबद्ध उद्यान उप वन संरक्षक ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण अधिनियम, की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) मानीटरी समिति मुद्रा दर मुद्रा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, **उपाबंध V** में संलग्न प्रपत्र में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी ।

8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/138/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध-I

कर्नाटक राज्य में शेरावती घाटी वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

उत्तर:	सीमा नाडावडा तालाकलाले ग्राम (जोग राज्य वन) की उत्तरी सीमा के साथ दक्षिण पश्चिम दिशा में जाती है और करगल ग्राम के सर्वे.स.1 एन तालाकलाले ग्राम के सर्वे.सं.151 के बिंदु और शेरावती नदी के दाएं तल के त्रि-जंक्शन से मिलती है। इसके बाद रेखा जोग राज्य वन और करगल राज्य वन की सामान्य सीमा के साथ दक्षिणी दिशा में जाती है और करगल ग्राम के सर्वे.सं.9 के दक्षिण पूर्व कोण से मिलती है, जो कि अभयारण्य सीमा से 1.0 किलोमीटर है। इसके बाद सीमाएं सागरा तालुक के करगल, बिलागलूरू और नाडावडा बीडारूरू ग्रामों के साथ अभयारण्य सीमा के चरम बिंदु से समान दूरी पर 1 किलोमीटर तक विस्तृत है यह शेरावती नदी

	तक पहुंचती है जो कि इदूवनी ग्राम (इदूवनी राज्य वन) पर बिंदु है। इसके बाद रेखा इदूवनी राज्य वन के पश्चिमी भाग पर शेरावती नदी के साथ उत्तरी दिशा में जाती है यह उत्तरी कनारा जिला सीमा तक पहुंचती है। इसके अतिरिक्त रेखा इदूवनी राज्य वन की उत्तरी और पूर्वी सीमा पर जाती है यह अभयारण्य सीमा से 1.0 किलोमीटर की दूरी में हरवल्ली ग्राम के उत्तरी मुख्य कोण के सर्वे. सं.68 तक छूती है। इसके बाद सीमाएं हारावल्ली, हिरेमने के साथ अभयारण्य सीमा के चरम बिंदु से समान दूरी पर 1 किलोमीटर तक विस्तृत है और बल्लेन्ने राज्य वन की उत्तरी सीमा से मिलती है और इसके अतिरिक्त रेखा बल्लेने राजय वन की उत्तरी सीमा के साथ दक्षिण पूर्व दिशा में जाती है और इसके अतिरिक्त सीमाएं बल्लेन्ने, बेलेगेरे, नील्लेहलेथोटा, देवूसा, मरादावल्ली, केसावीनामने, नाडामल्ला, ब्राहमणामल्ला और हूलीकोदू ग्रामों के साथ अभयारण्य सीमा के चरम बिंदुओं से समान दूरी पर 1 किलोमीटर तक विस्तृत है।
पूर्व:	ऊपर के बिंदु से रेखा बेनकाटावल्ली, नाडावडाल्ली, चीक्काममथूरू; मथीकोप्पा, बेसूर ग्रामों के साथ अभयारण्य सीमा के चरम बिंदुओं से समान दूरी पर 1 किलोमीटर तक विस्तृत है यह बेसूर रिज़र्व वन की पूर्वी सीमा पर बिंदु तक पहुंचती है और बेसूर ग्राम के सर्वे.सं. 20 के त्रि-जंक्शन बिंदु दक्षिणी से मिलती है।
दक्षिण:	ऊपर के बिंदु से रेखा बेसूर ग्राम के उसी (दक्षिणी) भाग के साथ जाती है और कोप्पदी ग्राम पहुंचती है और इसके अतिरिक्त रेखा कीप्पदी, अम्बरागोल्दु, कगरसी, किरावसे, बरहन्नावादा हरदुरूनदाकेप्पिगे, बरहन्नकेप्पिगे,अरभाल्ली और नादावादावादी के साथ अभयारण्य सीमा के चरम बिंदु से समान दूरी पर 1 किलोमीटर तक विस्तृत है। इसके बाद रेखा बी. होसाहल्ली, बी.कालासावाल्ली की पश्चिमी सीमा के साथ जाती है अभयारण्य सीमा से 1 किलोमीटर की दूरी में बोलागेरे ग्राम सीमा तक छूती है और इसके अतिरिक्त कुछ दूरी के लिए पश्चिम दिशा में जाती है चंद्रावल्ली ग्राम के सर्वे.सं.19 पर बिंदु को छूती है और चंद्रावल्ली ग्राम सीमा की उत्तर पूर्वी सीमा के साथ उत्तर पश्चिम कि ओर जाती है यह चंद्रावल्ली ग्राम को उत्तरी मुख्य टीप तक पहुंचती है। इसके बाद रेखा कलूरू ग्राम सीमा के दक्षिणी भाग के साथ जाती है जो कि चंद्रावल्ली ग्राम को उत्तरी सीमा है और यह चंद्रावल्ली ग्राम सीमा तक पहुंचती है। इस बिंदु से रेखा कुछ दूरी के लिए चेन्नागोंडा रिजर्व वन सीमा के दक्षिण पूर्व भाग के जाती है और चेन्नागोंडा ग्राम के उसी दक्षिणी भाग के लिए पुन: जाती है यह कट्टीनाकरू ग्राम के सर्वे सं 165 के उत्तरी टीप में कट्टीनाकरू ग्राम सीमा तक पहुंचती है जहां धारा में बब्बीगे ग्राम है और इसके बाद उसी धारा के साथ पुन: दक्षिण कि ओर जाती है यह कोदानाहल्ली ग्राम सीमा पर बिंदु तक पहुंचती है। इस बिंदु से सीमा रेखा

	कोदानाहल्ली ग्राम की उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी सीमा के साथ जाती है यह मौकांबिका वन्यजीव अभयाण्य की पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा तक पहुंचती है।
पश्चिम:	सीमा सर्वे सं-16 के दक्षिणी मुख्य टीप से आरंभ होती है कूलावदी ग्राम के सर्वे. सं.16,19,20,14 के साथ उत्तर-पश्चिम दिशा में मौकाम्बिका वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी सीमा के साथ होते हुए जाती है और यह कूनतवनी, हदावल्ली और कूलावदी ग्रामों के त्रि-जंक्शन बिंदु पहुंचती है। इस बिंदु से सीमा कूलावदी ग्राम के सर्वे सं.14 के साथ उत्तर पूर्व दिशा में होते हुए जाती है और कूलावदी, हदावल्ली और ओनीबगीलू ग्रामों के त्रि-जंक्शन पहुंचती है। इसके बाद रेखा ओनीबगीलू ग्रामों के त्रि-जंक्शन पहुंचती है। इसके बाद रेखा ओनीबगीलू ग्राम के सर्वे सं.3 के साथ उत्तरी दिशा में जाती है यह धारा में ओनीबगीलू ग्राम के सर्वे सं.3 उत्तर पश्चिमी मुख्य बिंदु पहुंचती है जो कि ओनीबगीलू और हदावल्ली ग्रामों के द्धि-जंक्शन बिंदु है। इसके बाद रेखा ओनीबगीलू ग्राम के उत्तरी सीमा के साथ पूर्वी दिशा में जाती है जो कि ओनीबगीलू और हदावल्ली ग्रामों के सामान्य ग्राम सीमा है और ओनीबगीलू ग्राम के पूर्वी मुख्य बिंदु पहुंचती है, जो कि ओनीबगीलू, हदावल्ली और कूरानदूर ग्रामों के त्रि-जंक्शन बिंदु है। इसके बाद रेखा हदावल्ली ग्राम के सर्वे सं.40,38 और 41 के साथ उत्तर पूर्व दिशा में जाती है और हदावल्ली ग्राम के सर्वे सं.33 और 41 के उत्तरी मुख्य द्धि-जंक्शन बिंदु पहुंचती है। इसके बाद रेखा सर्वे सं.33 की उत्तरी सीमा के साथ पुन: और हदावल्ली, हसारावल्ली, हलयानी ग्रामों के सामान्य ग्राम में जाती है यह हदावल्ली, हलयानी और मूराकोदी ग्रामों के त्रि-जंक्शन बिंदु पहुंचती है। इस बिंदु से रेखा मूराकोदी ग्राम के सर्वे सं.29 के साथ दक्षिण पश्चिम की ओर जाती है यह धारा पहुंचती है और इसके अतिरिक्त धारा के साथ जाती है जो कि हलयानी और बडेबैग ग्रामों की सामान्य ग्राम सीमा है जहां धारा पर हलयानी ग्राम के सर्वे सं.29 है जो कि हलयानी और बड़ेबैग ग्रामों पर सामान्य बिंदु है। इसके बाद रेखा दक्षिण पश्चिम दिशा में जाती है और इसके बाद हलयानी और बड़ेबैग ग्रामों की सामान्य ग्राम सीमा के साथ उत्तर पूर्व दिशा के साथ जाती है जो कि हलयानी बडबैग और हसारावल्ली ग्रामों कें त्रि-जंक्शन बिंदु है। इसके अतिरिक्त,रेखा बड़ेबैग और हसारावल्ली की सामान्य ग्राम सीमा के साथ उत्तर पूर्व दिशा में पुन: जाती है यह धारा तक पहुंचती है। इसके बाद रेखा बड़ेबैग ग्राम की उत्तरी सीमा पर पश्चिम दिशा की ओर धारा के साथ जाती है जो कि बड़ेबैग और अग्गा ग्रामों की सामान्य सीमा है और इसके अतिरिक्त अल्गा ग्रामों की पश्चिमी सीमा के

	साथ जाती है यह अग्गा, हेनजीले, बड़ेबैग और कोप्पा ग्रामों के क्यौद्रा-जंक्शन बिंदु तक पहुंचती है। इस बिंदु के ऊपर से सीमा रेखा पश्चिम की ओर, दक्षिण की और उत्तर की ओर साथ जाती है और इसके बाद कोप्पा ग्राम सीमा के साथ पूर्व कि ओर जाती है जो कि कोप्पा, बदेबग, हुदील, गधालकि, किटरे, कोटखंद, बिरल्खंड, चिकांकोड, बेंगरे, कइकिनी, मवाल्ली, कोचोदी, सम्पोल्ली, अदीकेकुली, अशीकेरी की सीमान्य ग्राम सीमा है यह अशीकेरी, कोप्पा और मगोदू ग्रामों के त्रि-जंक्शन बिंदु तक पहुंचती है। इस बिंदु से रेखा अशीकेरी ग्राम की पूर्वी सीमा के साथ उत्तर की ओर जाती है यह सर्वे सं. 7 एवं 2 की पूर्वी टीप तक पहुंचती है जो कि होन्नावारा तालुक के अशीकेरी और मगोदू ग्रामों के द्धि-जंक्शन बिंदु है। इसके बाद रेखा मगोदू के सामान्य सर्वेक्षण रेखा 90 और 91 के साथ उत्तरपूर्व में जाती है यह मगोदू, शीरकूर और कंदोदी ग्रामों की सामान्य ग्राम सीमा के साथ उत्तर पूर्व के साथ जाती है यह शीरकूर, कंदोदी और हेग्गारागद्दे (नगरबसथीकेरी) ग्रामों के सामान्य त्रि-जंक्शन बिंदु तक पहुंचती है। इसके अतिरिक्त, सीमा कंदोदी ग्राम की उत्तरी सीमा के साथ पूर्व दिशा कि ओर जाती है यह कंदोदी, हेग्गारागद्दे (नगरबसथीकेरे) और हदगेरी ग्रामों के त्रि-जंक्शन बिंदु तक पहुंचती है। इसके बाद रेखा हदगेरी ग्राम की उत्ती सीमा के साथ जाती है यह हदगेरी, बेगोदी और नादावदा तालाकालाले (एन-तालाकालोल) ग्रामों के त्रि-जंक्शन बिंदु तक पहुंचती है और इसके अतिरिक्त होन्नावार तालुक के बेगोदी और हेग्गारागद्दे ग्रामों की पूर्वी सीमाएं के साथ जाती है; जो कि नादावादा तालाकालाले ग्राम (जोग रिज़र्व वन'ए') सीमा का भाग और पुन: यह शेरावती नदी तक छूता है।

उपाबंध - IIक

प्रमुख अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ शेरावती वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन और 10 किलोमीटर बफर का गूगल मानचित्र

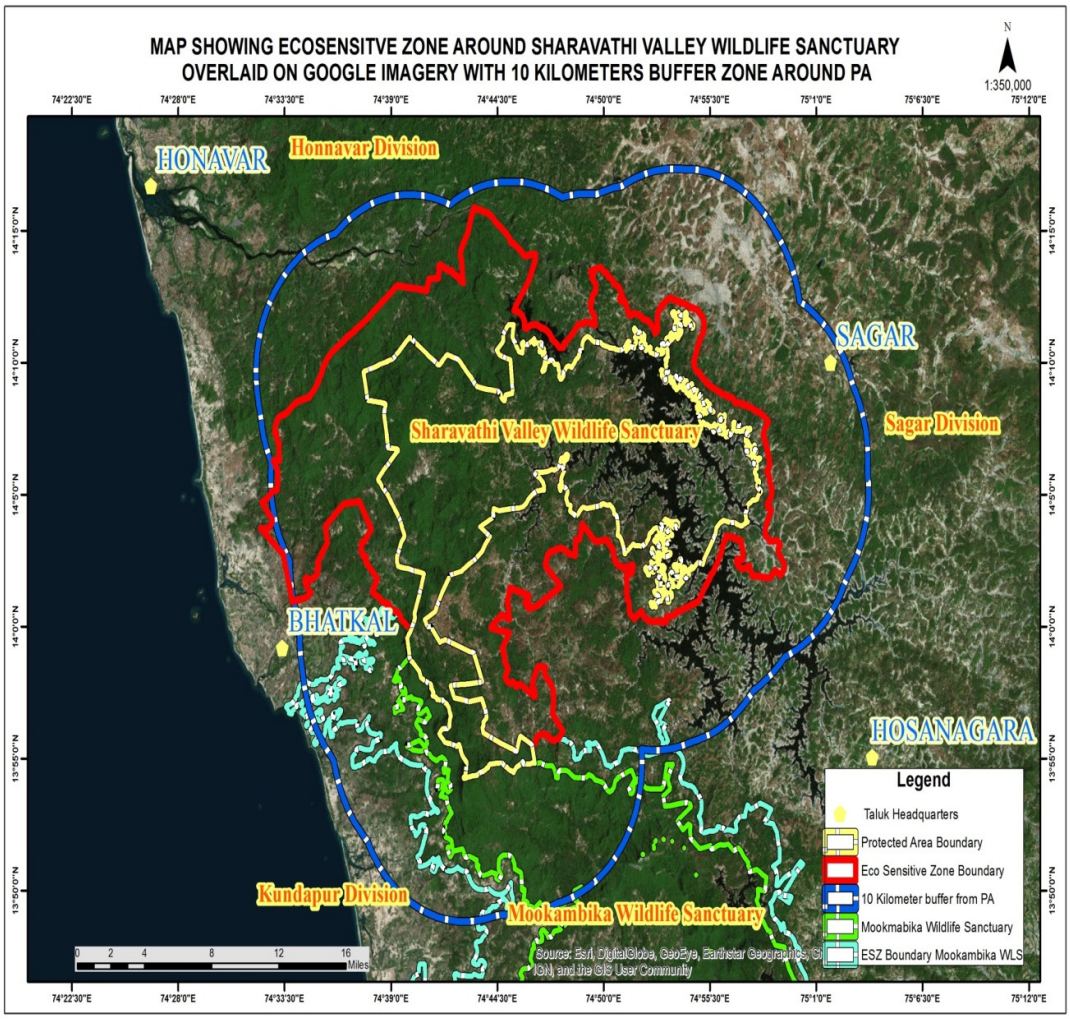

उपाबंध - IIख

प्रमुख अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ शेरावती घाटी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र

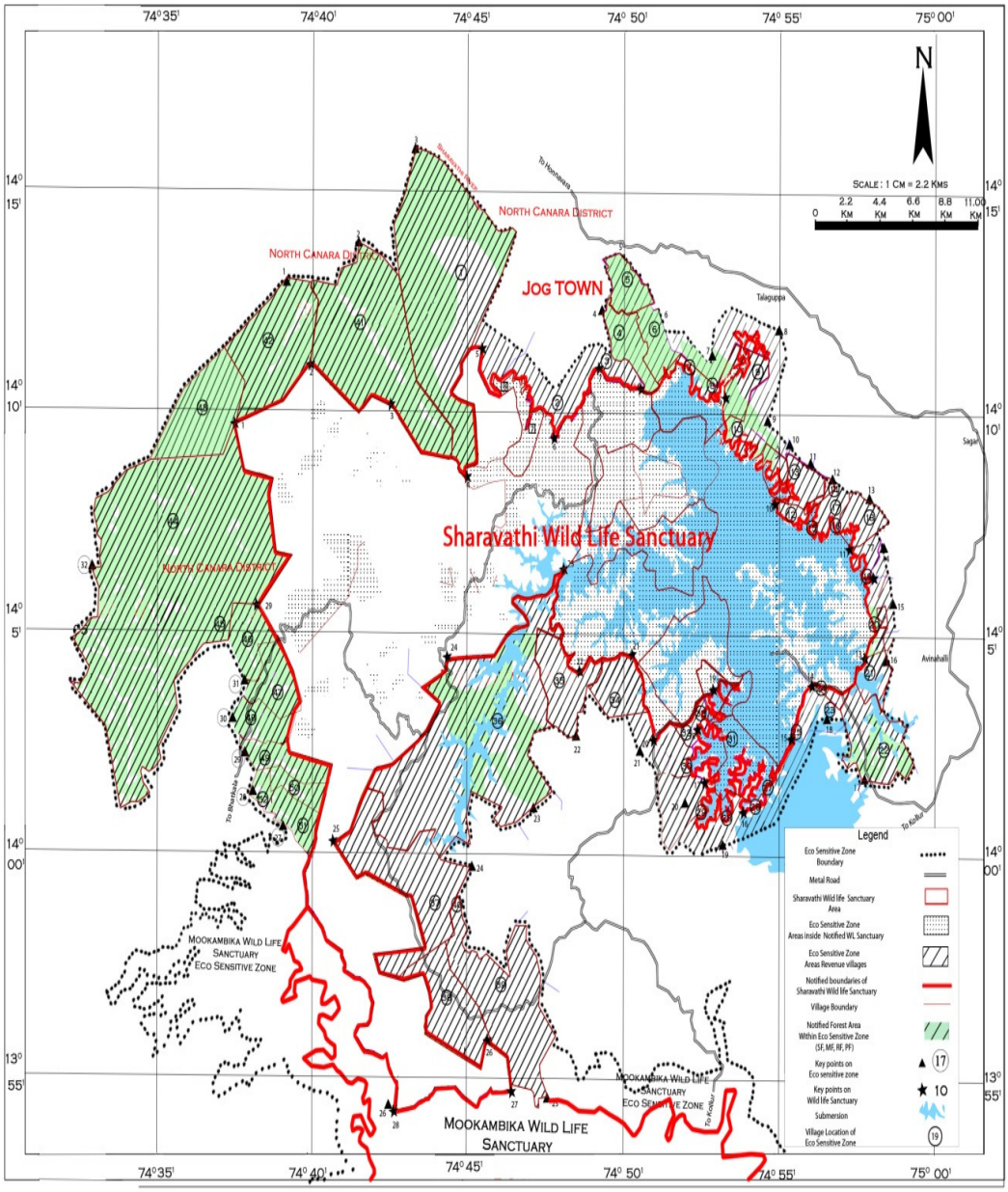

उपाबंध –IIग

प्रमुख अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ भारतीय सर्वेक्षण (एस ओ आई) की टोपोशीट पर शेरावती घाटी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी का मानचित्र

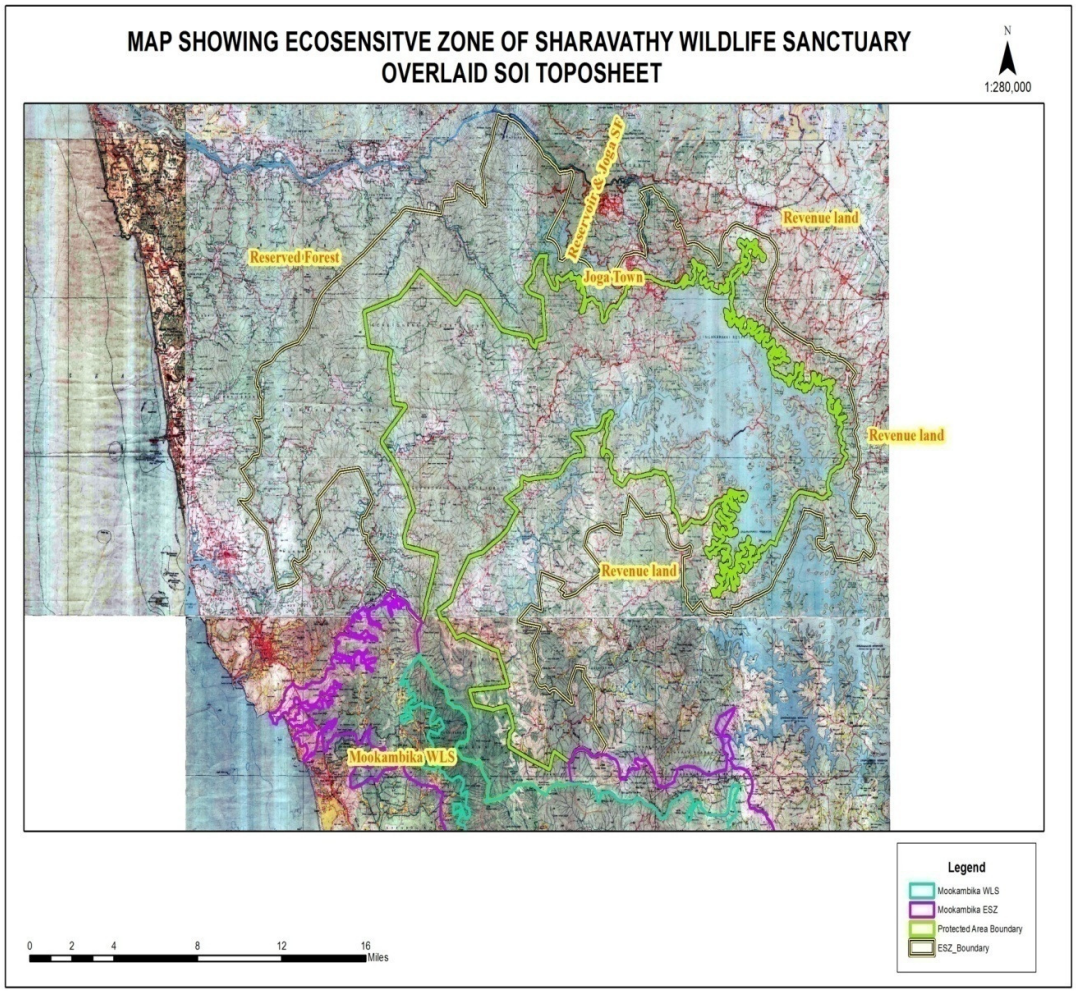

उपाबंध – IIघ

प्रमुख अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ 10 किलोमीटर बफर के साथ शेरावती घाटी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भू-उपयोग पैटर्न को दर्शाने वाला मानचित्र

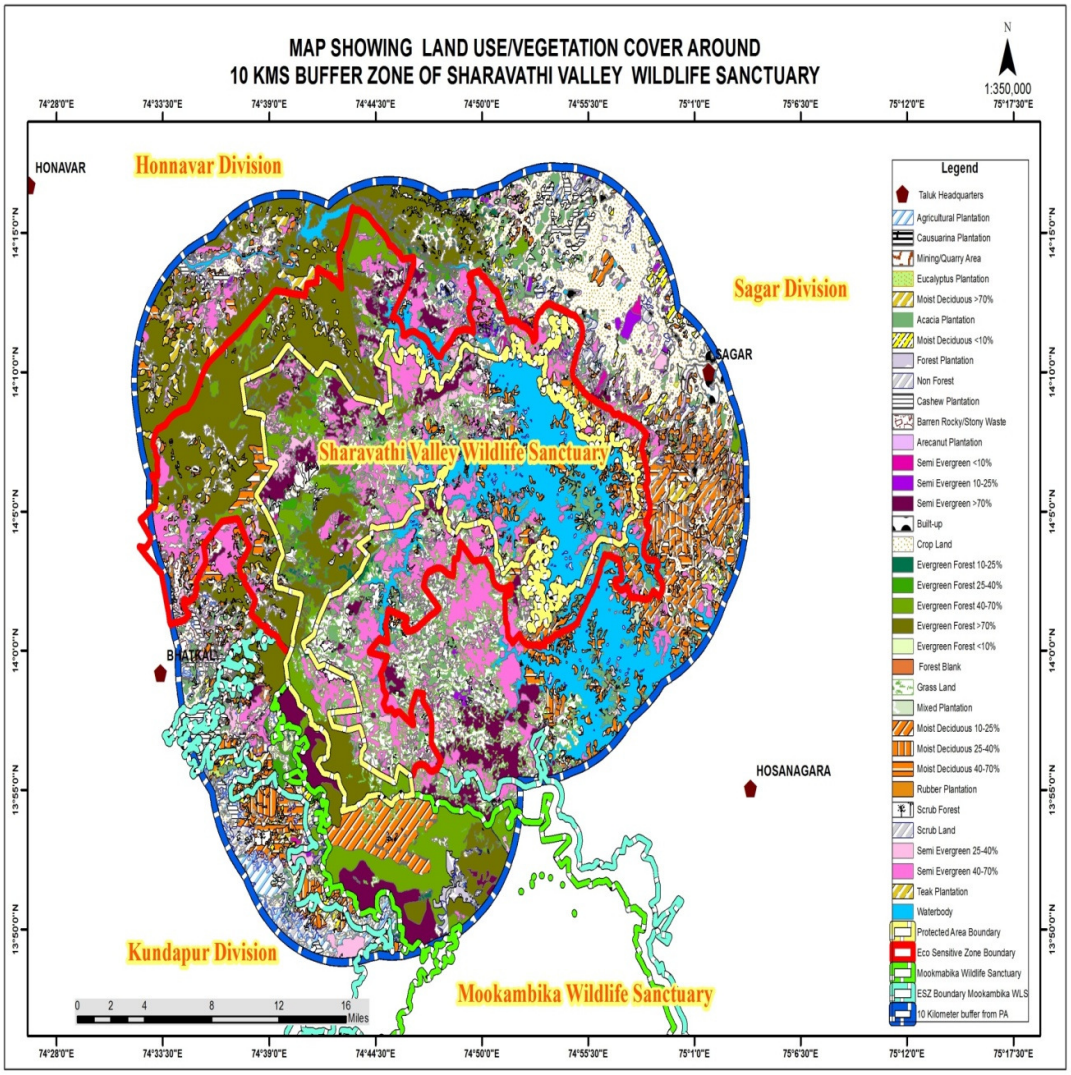

उपाबंध-III

सारणी क: शेरावती घाटी वन्यजीव अभयारण्य के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

मानचित्र आई डी	देशांतर	अक्षांश
1	74°37'31.87"पू	14° 8'28.89"उ
2	74°39'54.06"पू	14° 9'28.74"उ
3	74°42'34.16"पू	14° 8'44.76"उ
4	74°44'57.75"पू	14° 7'29.46"उ
5	74°45'29.93"पू	14° 9'45.05"उ
6	74°47'52.64"पू	14° 8'6.09"उ
7	74°49'13.20"पू	14° 9'24.50"उ
8	74°50'43.53"पू	14° 9'3.67"उ
9	74°53'27.41"पू	14° 8'7.15"उ
10	74°55'7.38"पू	14° 6'59.20"उ
11	74°57'40.76"पू	14° 6'32.85"उ
12	74°58'8.24"पू	14° 5'40.38"उ
13	74°57'43.28"पू	14° 4'6.25"उ
14	74°57'20.05"पू	14° 3'42.81"उ
15	74°55'42.40"पू	14° 3'11.19"उ
16	74°54'1.41"पू	14° 1'31.31"उ
17	74°52'44.41"पू	14° 2'1.88"उ
18	74°52'37.10"पू	14° 3'1.30"उ
19	74°53'11.68"पू	14° 3'52.60"उ
20	74°51'5.63"पू	14° 2'48.14"उ
21	74°50'19.60"पू	14° 4'17.76"उ
22	74°48'40.88"पू	14° 3'59.19"उ
23	74°48'9.60"पू	14° 5'50.22"उ
24	74°43'36.79"पू	14° 3'45.65"उ
25	74°40'41.23"पू	14° 1'0.80"उ
26	74°46'18.58"पू	13°57'14.91"उ
27	74°46'24.15"पू	13°56'37.88"उ
28	74°42'40.15"पू	13°56'17.51"उ
29	74°38'14.58"पू	14° 5'13.45"उ

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य अवस्थानों के अक्षांश-देशांतर

मानचित्र आई डी	देशांतर	अक्षांश
1	पू 74⁰ 39¹ 2.921"	उ 14⁰ 11¹ 34.114"
2	पू 74⁰ 41¹ 41.921"	उ 14⁰ 12¹ 9.017"
3	पू 74⁰ 46¹ 21.581"	उ 14⁰ 09¹ 42.497"
4	पू 74⁰ 49¹ 37.612	उ 14⁰ 13¹ 27.95"
5	पू 74⁰ 80¹ 30.94"	उ 14⁰ 12¹ 53.106"
6	पू 74⁰ 51¹ 8.785"	उ 14⁰ 12¹ 39.541"
7	पू 74⁰ 52¹ 34.02"	उ 14⁰ 11¹ 03.91"
8	पू 74⁰ 55¹ 07.48"	उ 14⁰ 11¹ 17.29"
8	पू 74⁰ 55¹ 07.48"	उ 14⁰ 11¹ 17.29"
9	पू 74⁰ 54¹ 56.01"	उ 14⁰ 09¹ 19.73"
10	पू 74⁰ 55¹ 47.59"	उ 14⁰ 08¹ 39.12"
11	पू 74⁰ 56¹ 39.18"	उ 14⁰ 08¹ 42.09"
12	पू 74⁰ 57¹ 04.91"	उ 14⁰ 08¹ 13.54"
13	पू 74⁰ 58¹ 12.22"	उ 14⁰ 07¹ 39.21"
14	पू 74⁰ 58¹ 38.22"	उ 14⁰ 06¹ 41.61"
15	पू 74⁰ 58¹ 44.75"	उ 14⁰ 05¹ 42.29"
16	पू 74⁰ 59¹ 10.84"	उ 14⁰ 04¹ 01.04"
17	पू 74⁰ 00¹ 4.786"	उ 14⁰ 01¹ 22.777"
18	पू 74⁰ 57¹ 04.86"	उ 14⁰ 03¹ 15.35"
19	पू 74⁰ 54¹ 12.62"	उ 14⁰ 00¹ 37.00"
20	पू 74⁰ 51¹ 48.45"	उ 14⁰ 02¹ 13.45"
21	पू 74⁰ 50¹ 40.00"	उ 14⁰ 02¹ 22.86"
22	पू 74⁰ 48¹ 36.056"	उ 14⁰ 02¹ 35.505"
23	पू 74⁰ 47¹ 51.742"	उ 14⁰ 01¹ 13.253"
24	पू 74⁰ 45¹ 8.357"	उ 13⁰ 59¹ 10.228"
25	पू 74⁰ 46¹ 36.475"	उ 13⁰ 54¹ 34.288"
26	पू 74⁰ 42¹ 40.15"	उ 13⁰ 56¹ 17.51"
27	पू 74⁰ 39¹ 5.506"	उ 13⁰ 59¹ 58.651"
28	पू 74⁰ 40¹ 6.216"	उ 14⁰ 01¹ 48.68"
29	पू 74⁰ 38¹ 55.165"	उ 14⁰ 02¹ 16.968"
30	पू 74⁰ 38¹ 40.824"	उ 14⁰ 03¹ 2.212"
31	पू 74⁰ 38¹ 48.702"	उ 14⁰ 03¹ 57.799"

32	पू 74⁰ 35¹ 47.726"	उ 14⁰ 08¹ 26.675"

उपाबंध-IV

सारणी क: भू-निर्देशांकों के साथ शेरावती घाटी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्राम क्षेत्र की सूची

मानचित्र आई डी	ग्राम नाम	शेरावती घाटी वन्यजीव अभयारण्य सीमा से पारिस्थितिकी संवेदी जोन की चौड़ाई	जिला	विस्तार (हेक्टेयर में)	अक्षांश (डिग्री,मिनट सैकेड)			देशांतर (डिग्री,मिनट सैकेड)		
1	एन.तालाकालाले	1 किलोमीटर	शिवमोग्गा	1788.22	14	9	42.49	74	46	21.58
2	एन. बेकरूरू	1 किलोमीटर	शिवमोग्गा	148.2	14	9	50.89	74	48	45.7
3	बिलागालुर	1 किलोमीटर	शिवमोग्गा	277.2	14	11	36.08	74	47	39.99
4	इदुवानी	पूर्ण	शिवमोग्गा	216.71	14	13	27.95	74	49	37.61
5	कंटोटा	पूर्ण	शिवमोग्गा	30.8	14	12	53.1	74	80	30.94
6	होरावाल्ली	पूर्ण	शिवमोग्गा	356.27	14	12	39.54	74	51	8.78
7	हिरेमन	1 किलोमीटर	शिवमोग्गा	177.4	14	11	22.3	74	52	52.32
8	होन्नेमरदु	1 किलोमीटर	शिवमोग्गा	753.05	14	11	35.77	74	51	54.12
9	बेल्लान्ने	1 किलोमीटर	शिवमोग्गा	10.39	14	11	26.79	74	55	2.37
10	बेलेगरू	1 किलोमीटर	शिवमोग्गा	450.86	14	9	52.52	74	54	28.97
11	नितलेहालेटोहा	1 किलोमीटर	शिवमोग्गा	500.03	14	9	28.35	74	55	7.66
12	देवासा	1 किलोमीटर	शिवमोग्गा	144	14	7	49.6	74	55	33.32
13	मरादावाल्ली	1 किलोमीटर	शिवमोग्गा	195.4	14	9	11.36	74	55	52.16
14	केसाविनामेने	1 किलोमीटर	शिवमोग्गा	7.65	14	8	12.96	74	57	10.63
15	नदामाला	1 किलोमीटर	शिवमोग्गा	30	14	6	41.6	74	56	0.57
16	बराहामानामाल्ला	1 किलोमीटर	शिवमोग्गा	635	14	6	18.08	74	66	51.37
17	हुल्कोदु	1 किलोमीटर	शिवमोग्गा	225	14	7	40.97	74	57	24.17
18	बेन्कटवाल्ली	1 किलोमीटर	शिवमोग्गा	168.6	14	8	13.66	74	57	52.92
19	नदावाधाल्ली	1 किलोमीटर	शिवमोग्गा	300	14	7	20.4	74	59	12.92
20	चिक्कामथुर	1 किलोमीटर	शिवमोग्गा	841	14	4	35.61	74	57	6.08
21	मथिकोप्पा	1 किलोमीटर	शिवमोग्गा	200	14	4	9.01	74	59	25.717
22	बेसुर	1 किलोमीटर	शिवमोग्गा	857.56	14	1	22.77	74	0	4.78
23	किप्पादी	1 किलोमीटर	शिवमोग्गा	230	14	2	59.28	74	55	51.04
24	अमबरगोदलु	1 किलोमीटर	शिवमोग्गा	112	14	1	22.77	74	57	34.5

25	कगरासु	1 किलोमीटर	शिवमोग्गा	172.12	14	4	72	74	55	27.49
26	किरूवासे	1 किलोमीटर	शिवमोग्गा	800	14	0	21.12	74	54	9.19
27	बराहामानाहाराधुर	1 किलोमीटर	शिवमोग्गा	40	14	0	41.45	74	54	10.18
28	नादावादाकेप्पिग	1 किलोमीटर	शिवमोग्गा	169.91	14	0	51.57	74	53	3.18
29	बराहामानाकेप्पिग	1 किलोमीटर	शिवमोग्गा	106	14	0	33.82	74	51	53.75
30	अराबल्ली	1 किलोमीटर	शिवमोग्गा	270	14	2	14.93	74	51	46.94
31	नदावादा अवादी	1 किलोमीटर	शिवमोग्गा	149.72	14	2	51.24	74	53	5.03
32	बी.होसाहाल्ली	1 किलोमीटर	शिवमोग्गा	220.89	14	3	18.15	74	52	18.82
33	केलासावाल्ली	1 किलोमीटर	शिवमोग्गा	21.34	14	4	45.97	74	52	7.43
34	वालागरे	1 किलोमीटर	शिवमोग्गा	1000	14	3	45.97	74	50	3.29
35	कल्लुर	1 किलोमीटर	शिवमोग्गा	1128.17	14	2	35.5	74	48	36.05
36	चेन्नागोंधा	पूर्ण	शिवमोग्गा	4506.96	14	1	13.25	74	47	52.74
37	कट्टीनाकरू	1 किलोमीटर	शिवमोग्गा	1690.8	14	59	10.22	74	45	8.35
38	करानी	1 किलोमीटर	शिवमोग्गा	1359.78	14	56	22.98	74	45	52.96
39	कोदानाहाल्ली	1 किलोमीटर	शिवमोग्गा	2448.55	14	54	34.28	74	46	36.47
40	बोब्बिगे	1 किलोमीटर	शिवमोग्गा	262.2	14	58	50.37	74	46	29.24
			कुल:	**24907.03**						

सारणी ख: भू-निर्देशांकों के साथ शेरावती घाटी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन अंतर्गत स्थित वन संलग्न ग्रामों का विवरण

क्र.सं	**संलग्न के नाम**	**ग्राम के नाम**	**सर्वे. सं.**	**क्षेत्र**	
				एकड़	**गूंटा**
1	संलग्न-1	गुदीहीटलु	7	30	0
2	संलग्न-2		17	25	0
3	संलग्न -3		9	50	0
4	संलग्न -4		23,33	70	0
5	संलग्न -5		43,37	50	0
6	संलग्न -6	बलिगा	54,35	110	0
7	संलग्न -7		60,4,35,54	100	0
8	संलग्न -8		61	25	0
9	संलग्न -9		4	0	0
9ए	संलग्न -9क		68	0	0
10	संलग्न -10	नेल्लेरी	5,11,10	410	0
11	संलग्न -11	नागावाल्ली	60,89,42	1140	0
12	संलग्न-12		18	300	0

13			21	300	0
14	संलग्न-13	उरूलुगाल्लु	41	100	0
15	संलग्न-14		41	100	0
15ए	संलग्न-15		21	40	0
16			16	160	0
17	संलग्न-16		1	60	0
20	संलग्न-17		1	20	0
21			30	40	0
22	संलग्न-18		1	100	0
23	संलग्न-19	कनुर	41	20	0
24	संलग्न-19क		41	0	0
25	संलग्न-20		41	15	0
26	संलग्न-21		50	6	0
27	संलग्न-22		50	25	0
28	संलग्न-23		50	35	0
29	संलग्न-24		पश्चिमी	104	0
30	संलग्न सं-25	कनापागरू	1231,03,111	887	14
31	संलग्न सं-26		4,60,19	750	0
32	संलग्न सं-26 क		76	0	0
33	संलग्न सं-27		341,30,126	280	0
34	संलग्न सं-28		66	90	0
35	संलग्न सं-29		80	15	0
36	संलग्न सं-30		125	120	0
37	संलग्न सं-31		68	100	0
32	संलग्न सं-32	भानुकुली	36,5	120	0
33	संलग्न सं-33		28,19	40	0
34	संलग्न सं-34		19	0	0
35	संलग्न सं-35		19	25	0
36	संलग्न सं-36		57	250	0
37	संलग्न सं-37		5	50	0
38	संलग्न सं-38		3,56,52	60	0
39	संलग्न सं-39		23,25	90	0
			कुल:	**6312**	**14**
				2554.57 हेक्टेयर	

ग. शेरावती घाटी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत रिजर्व/ अधिसूचित वनों का विवरण

क्र.सं	प्रभाग	वन/ग्राम का नाम	अधिसूचना सं. और तारीख	क्षेत्र से हेक्टेयर	*विधि स्थिति
1.	होन्नावारा	कुलावादी	जी.एन.सं.3647-ए 31-05-1898 जी.एन.सं. -36/9/5278-ए 01-05-1922	324.52	आर एफ
2.	होन्नावारा	आनिबागिलु	जी.एन.सं.3647-ए 31-05-1898	58.90	आर एफ
3.	होन्नावारा	कुरांदुर	जी.एन.सं.3647- ए 31-05-1898	346.42	आर एफ
4.	होन्नावारा	हदावाल्ली	जी.एन.सं.3647- ए 31-05-1898	279.55	आर एफ
5.	होन्नावारा	हल्यानि	जी.एन.सं.3647- ए 31-05-1898	519.99	आर एफ
6.	होन्नावारा	हसारावाल्लि	जी.एन.सं.3647- ए 31-05-1898	598.01	आर एफ
7.	होन्नावारा	अग्गा	जी.एन.सं.3647- ए 31-05-1898	215.68	आर एफ
8.	होन्नावारा	हेंजिले	जी.एन.सं.3647- ए 31-05-1898	291.88	आर एफ
9.	होन्नावारा	कोप्पा	जी.एन.सं.3647- ए 31-05-1898 जी.एन.सं..8972 से 30-09-1922 जी.एन.सं.6848 से 08-07-1919 जी.एन.सं. एस-35/9/13182 से 21-08-1923 जी.एन.सं. एस-36/9/5278- ए 01-05-1922	9100.40	आर एफ
10.	होन्नावारा	मगोदु	जी.एन.सं.7309-बी 04-10-1897	1034.95	आर एफ
11.	होन्नावारा	कंदोदी	जी.एन.सं.7309-बी 04-10-1897 .एन.ए और एफ डी एफ एल डी.2653.147724 -ई 24-12-1955	1748.36	आर एफ
12.	होन्नावारा	हदगेरी	जी.एन.सं..7309-बी 04-10-1897 जी.एन.ए और एफ डी सं.एफ एल डी.2655/147724 -इ 24-12-1955	3629.13	आर एफ
13.	सागर	चान्नागोंदा	जी. 2903-6 एफटी. 53-35-2/16.10.1935.	1740.01	आर एफ
14.	सागर	चेन्नागोंदा	एफईई 129एफएएफ 93 दिनांक:09.02.1994	144.52	पी एफ
15.	सागर	बेल्लेन्ने	आर. 5845 एफटी. 33-12-7 / दिनांक.12.4.1913.	735.74	एस एफ
16.	सागर	बेसुर	एफ ई ई-21-एफएएफ-2004 दिनांक:21.09.2005	433.83	आर एफ

17.	सागर	चीकमथुर	एफ एफ डी 139एफ ए एफ 80 दिनांक:16.12.1981	305.54	पी एफ
18.	सागर	कगरसि	एफ एफ डी 127 एफ ए एफ 80 दिनांक: 22.07.1980	49.88	आर एफ
19.	सागर	जोग "क"और "ख" खंड (भाग)	आर.5111 एफ टी. 46-08-7/ दिनांक 22.1.1909.	3104.59	एस एफ
20.	सागर	लदुवानि	आर.4224एफटी. 138-11-9/ दिनांक 12.2.1913.	949.50	एस एफ
			कुल:	**25611.4**	

* **आर एफ**: - **आरक्षित वन**; **एस एफ**: - **राज्य वन**; **पी एफ**: - **संरक्षित वन**

उपाबंध-V

की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्र

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी है ।
4. भू-अभिलेख की सदृश्य गलती के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सार (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार)। ब्यौरे उपाबंध के रूप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सार । (ब्यौरे एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाए) ।
6. पर्यावरण समाघात अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सार। (ब्यौरे एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd August, 2019

S.O. 2797(E).— WHEREAS, a draft re-notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 4894(E) dated the 18th September 2018, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 18th September 2018;

AND WHEREAS, no objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the draft notification;

AND WHEREAS, the Sharavati Valley Wildlife Sanctuary is situated in Sagara taluk of Shivamogga District in Karnataka State and lies between latitudes 13^0 54' to 14° 12' North and longitudes 74^0 38' to 75° 00' East. The Sanctuary was notified *vide* Government order No. AFD70/FWL71/ Dated the 20th April, 1972 having an area of 431.23 square kilometers with a final notification under the provisions of Wildlife Protection Act 1972 *vide* AFD/12/FWL/74 dated the 27th June, 1974. Wildlife Division has been functioning independently since 16th April, 1987 after taking over 6 State Forests, submersion area and islands from Sagar Territorial Division;

AND WHEREAS, the Sharavati Valley Wildlife Sanctuary has the geographical area of 431.23 square kilometers; out of which 123.63 square kilometers of the area is under the water spread of Sharavathi Reservoir. The area is covered by moist deciduous, semi evergreen, Shola forests and evergreen forests of Sahyadri hills of 'Western Ghats', which is a magnificent piece of beautiful and valuable forest track. In spite of severe biotic pressure, parts of the Sanctuary have been able to retain its pristine, dense and diverse vegetation. It is therefore absolutely essential to ensure that the existing resources are not only effectively conserved but appropriate steps are also initiated to further improve the resources;

AND WHEREAS, the Sanctuary has rich floral and faunal diversity and the forests consist of valuable tree species including teak, sandal, rosewood, honne, nandi etc. and harbour wildlife like bison, spotted deer, sambar, tiger and panther. The area is very rich in reptiles and avifauna population. The hilly area forms the catchment basin for Sharavati River, clustered with small and big Nalas. The area serves as an abode for many vertebrates and invertebrates. The Sanctuary has innumerable herbs, shrubs, ferns and grasses some of which are yet to be surveyed and listed;

AND WHEREAS, rare, threatened and endangered (RET) species of mammals found in Sharavathi Valley Wildlife Sanctuary are tiger *(Panthera tigris),* dhole *(Cuon alpinus),* malabar civet *(Viverra civettina),* brown palm civet *(Paradoxurus jerdonii),* rusty spotted cat *(Prionailurus rubiginosus),* lion tailed macaque *(Macaca silenus),* oriental small clawed otter *(Aonyx cinerarea),* smooth coated otter *(Lutrogale perspicillata),* elephant *(Elephas maximus),* dusky striped squirrel *(Funambulus sublineatus),* etc;

AND WHEREAS, rare, threatened and endangered (RET) species of reptiles, amphibians and birds are marsh crocodile *(Crocodylus palustris),* Beddome's toad *(Duttaphrynus beddomii),* Malabar torrent toad *(Ghatophryne ornate),* Sahyadrifejervarya *(Fejervarya sahyadris),* Mudduraja cricket frog *(Fejervarya Mudd raja),* Mangalore cricket frog *(Fejervarya granosa),* Malabar tree toad *(Pedostibes tuberculosus),* Marbled ramanella *(Ramanella mormorata),* Jog night frog *(Nyctibatrachus jog),* Humayun's night frog *(Nyctibatrachus humayuni),* Amboli bush frog *(Pseudophilautus amboli),* Wynaad bush frog *(Pseudophilautus wynaadensis),* Karnataka bubble nest frog *(Raorchestes charius),* Ponmudi bush frog *(Raorchestes ponmudi,)* small tree frog *(Rhacophorus lateralis),* king cobra *(Ophiophagus hannah),* Whitaker's boa *(Eryx whitakeri),* Black bellied shield tail *(Teretrurus sanguineus),* Wynaad shield tail *(Melanophidium wynaudense),* woolly necked stork *(Ciconia episcopus),* lesser adjutant stork *(Leptoptilos javanicus),* shaheen falcon (*Falco peregrines peregrinator),* etc;

AND WHEREAS, rare, threatened and endangered (RET) species of flora found in the Sharavathi Valley Wildlife Sanctuary are Frangipani vine *(Chonemorpha grandiflora* Roth), sarpagandha *(Rauvolfia serpentin* L. Benth. ex. Kurz.), (*Raphidophora laciniata* N. Burn Merrill), black dummar *(Canarium strictum* Roxb.), Ashoka tree *(Saraca asoca* Roxb. De Wilde), Kokum *(Garcinia indica* Thouars Choisy), Mysore gamboges *(Garcinia morella* Gaertn Desr.), cambi gum tree *(Gardenia gummifera* Linn.), *(Dipterocarpus indicus* Bedd.), Ponga *(Hopea ponga* Dennst. Mabberley), Saldhoopa *(Vateria indica* L.), *(Diospyros candolleana* Wt.), panicled ebony *(Diospyros paniculata* Dalz.), junglee almond *(Hydnocarpus pentandra* Buch-Ham. Oken), salacia *(Salacia oblonga* Wall), ghanera *(Nothapodytes nimmoniana* (Graham. Mabb.), large flowered bay tree *(Perseam acrantha* Nees Kosterm), *(Dysoxylum malabaricum* Bedd.), wild jack *(Artocarpus hirsutus* Lam.), Bitter nutmeg *(Myristica dactyloides* Gaertn.), Rosewood *(Dalbergia latifolia* Roxb.), *(Pseudarthria viscida* L. Wight & Arn.), hondala *(Adenia hondala* Gaertn. de Wilde), white sandalwood *(Santalum album* Linn.), *(Pterospermum reticulatum* Wt. & Arn.), Lodhra *(Symplocos racemoca* Roxb.), *(Aphananthe cuspidate* Bl. Planch.), hill turmeric *(Curcuma psuedomontana* J.Graham.), etc;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Sharavati Valley Wildlife Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from one (1.0) kilometre to 13.80 kilometre around the boundary of Sharavati Valley Wildlife Sanctuary, in Shivamogga district in the State of Karnataka as the Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:

-

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. –** (1) The Eco-sensitive Zone shall be to an extent of one (1.0) kilometre to 13.80 kilometre around the boundary of Sharavati Valley Wildlife Sanctuary and the area of the Eco-sensitive Zone is 530.72 square kilometres; of which 256.11 square kilometres is covered by reserve/notified forests.

(2) The boundary description of Sharavati Valley Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is appended in **Annexure-I.**

(3) The maps of the Sharavati Valley Wildlife Sanctuary demarcating Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-IIA, Annexure-IIB, Annexure-IIC** and **Annexure-IID.**

(4) List of geo-coordinates of the boundary of Sharavati Valley Wildlife Sanctuary and Eco-sensitive Zone are given in Table **A** and Table **B** of **Annexure-III.**

(5) The list of villages, forest enclosure villages and protected/reserved forest falling in the Eco-sensitive Zone along with their area and geo co-ordinates at prominent points are appended as Table **A**, Table **B** and Table **C** of **Annexure-IV.**

2. **Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.-** (1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority of State.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

(i) Environment;

(ii) Forest and Wildlife;

(iii) Agriculture;

(iv) Revenue;

(v) Urban Development;

(vi) Tourism;

(vii) Rural Development;

(viii) Irrigation and Flood Control;

(ix) Municipal;

(x) Panchayati Raj;

(xi) Public Works Department;

(xii) Highways; and

(xiii) Karnataka State Pollution Control Board.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by the State Government.- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use.– (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) promoted activities given under paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph;

(b) efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism or Eco-tourism.- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone;

(b) the Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests;

(c) the Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan;

(d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone;

(e) the activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of

Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development.

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution. - Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be compiled in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) Discharge of effluents.- Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) Solid wastes.- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.

(10) Bio-Medical Waste.– Bio Medical Waste Management shall be as under:-

(a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management, Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R 343 (E), dated the 28th March, 2016;

(b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

(11) Plastic waste management.- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time**.**

(12) Construction and demolition waste management.- The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste.- The e - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic.– The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring

Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution.- Prevention and control of vehicular pollution shall be incompliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.

(16) Industrial units.– (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone;

(ii) only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No.	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
	A. Prohibited Activities	
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for personal consumption; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless otherwise specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
4.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
5.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.

S. No.	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
6.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
7.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
	B. Regulated Activities	
8.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
9.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents. Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
10.	Small scale non polluting industries.	Non-polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
11.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
12.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.
13.	Erection of electrical and communication	Regulated under applicable laws (underground cabling may be

S. No.	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
	towers and laying of cables and other infrastructures.	promoted).
14.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulations available guidelines.
15.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
16.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
17.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
18.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
19.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
20.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
21.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
22.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
23.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.
24.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
25.	Use of polythene bags.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest produce.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
C. Promoted Activities		
29.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
32.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
33.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc. shall be actively promoted.
34.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.

S. No.	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
35.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
36.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
37.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
38.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
39.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-sensitive Zone Notification.- For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

S. No.	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
(i)	Regional Commissioner, Bengaluru	Chairman, *ex officio*
(ii)	Hon'ble Member of Legislative Assembly, Sagar* Constituency Shivamogga District	Member;
(iii)	Hon'ble Member of Legislative Assembly, Honnavara* Constituency Uttara Kannada District	Member;
(iv)	A representative of the Department of Environment, Government of Karnataka	Member;
(v)	A representative of the Department of Urban Development, Government of Karnataka	Member;
(vi)	A representative of NGO working in the field of environment to be nominated by the Government of Karnataka	Member;
(vii)	The Regional Officer, Karnataka State Pollution Control Board, Shivamogga	Member;
(viii)	An expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Karnataka	Member;
(ix)	Deputy Commissioner or his representative, Shivamogga	Member;
(x)	An expert in Biodiversity nominated by the State Government	Member;
(xi)	A representative from State Public Works Department	Member;
(xii)	Deputy Conservator of Forests, Wildlife Division, Shivamogga	Member-Secy.

**(Subject to the State Government of Karnataka obtaining relevant approvals inter alia including permission from the Speaker of Legislative Assembly, Karnataka, if required)*

6. Terms of reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee shall be constituted by the State Government.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof,

shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at Annexure V.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/138/2015-ESZ-RE]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

ANNEXURE- I

A. BOUNDARY DESCRIPTION OF SHARAVATI VALLEY WILDLIFE SANCTUARY AND ITS ECOSENSITIVE ZONE IN THE STATE KARNATAKA

North:	The boundary runs in southwest direction along the northern boundary of NadavadaTalakalale village (Jog State Forest) and meets the tri-junction point of Sy. No. 1 of Kargal village, Sy. No. 151 of N.Talakalale village and right bank of Sharavathi river. Then the line runs in southern direction along the common boundary of Jog State Forest and Kargal State Forest and meets the southeast corner of Sy. No. 9 of Kargal village i.e., 1.0 kilometre from the Sanctuary boundary. Then the boundaries are extended to 1 Kilometre equidistant from the extreme points of the Sanctuary boundary with respect to Kargal, Bilagaluru and Nadavada Bidaruru villages of SagaraTaluk till it reaches the Sharavathi river which happens to be a point on the Iduvani village (Iduvani State Forest). Then the line runs in the northern direction along the Sharavathi river on the western portion of the Iduvani State Forest until it reaches the North Kanara District boundary. Further the line runs on the northern and eastern boundary of Iduvani State Forest till it touches the Sy. No. 68 of northern most corner of Haravalli village at a distance of 1.0 Kilometre from the Sanctuary boundary. Then the boundaries are extended to 1 Kilometre equidistant from the extreme points of the Sanctuary boundary with respect to Haravalli, Hiremane and meets the northern boundary of the Bellenne State Forest and further the line runs in southeast direction along the northern boundary of the Bellenne State Forestand further the the boundaries are extended to 1 Kilometre equidistant from the extreme points of the Sanctuary boundary with respect to Bellenne, Belegere, NitleHalethota, Devusa, Maradavalli, Kesavinamane, Nadamalla, Brahmanamalla and Hulikodu villages.
East:	From the above point the line is extended to 1 Kilometre equidistant from the extreme points of the Sanctuary boundary with respect to Benkatavalli,Nadavadalli, Chikkamathuru, Mathikoppa, Besurvillages till it reaches a point on the eastern boundary of Besur Reserve Forest and meets the southernmosttri-junction point of Sy. No. 20 of Besur village.
South:	Form the above point the line runs along the remaining (southern) portion of the Besur village and reaches the Kippadi village and furtherthe line is extended to 1 Kilometre equidistant from the extreme points of the Sanctuary boundary with respect to Kippadi, Ambaragodlu, Kagarsi, Kiravase, Brahmanavada Haraduru, Nadakeppige, Brahmanakeppige, Arabhalli and Nadavadaavadi.Then the line runs along the western boundary of B.Hosahalli, B.Kalasavalli villages till touches the Volagere village boundary at a distance of 1 Kilometre from the Sanctuary boundary and further runs in west direction for some distance till reaches a point on the Sy. No. 19 of the Chandravalli village and runs northwest along the northeastern

	boundary of the Chandravalli village boundary till it reaches the northern most tip of the Chandravalli village. Then the line runs along the southern portion of the Kaluru village boundary which happens to be the northern boundary of Chandravalli village and runs till it reaches the Chandravalli village boundary. From this point the line runs along the southeast portion of the Chennagonda Reserve forest boundary for some distance and continuous along the remaining southern portion of the Chennaonda village till it reaches the Kattinakaru village boundary at the northern tip of Sy. No.165 of Kattinakaru village where it the Babbige village at a stream and then continuous southwards along the same stream till it reaches the point on the Kodanahalli village boundary. From this point the boundary line runs along the northern, eastern and southern boundary of the Kodanahalli village till it reaches the Eco-sensitive boundary of the Mookambika Wildlife Sanctuary.
West:	The boundary starts from the southernmost tip of Sy. No. 16 and passes along the Eco-sensitive boundary of Mookambika Wildlife Sanctuary in northwest direction along the Sy. Nos. 16, 19, 20, 14 of Kulavadi village till it reaches the tri-junction point of Kuntavani, Hadavalli and Kulavadi villages. From this point the boundary runs in north-east direction along Sy. No. 14 of Kulavadi village and reaches the tri-junction point of Kulavadi, Hadavalli and Onibagilu villages. Then the line runs in northern direction along the Sy. No. 3 of Onibagilu village till it reaches north western most point of Sy. No. 3 of Onibagilu at the stream which is the bi-junction point of Onibagilu and Hadavalli villages. Then the line runs in eastern direction along the northern boundary of Onibagilu village, which is the common village boundary of Onibagilu and Hadavalli villages and reaches eastern most point of Onibagilu village, which is the tri-junction point of Onibagilu, Hadavalli and Kurandur villages. Then the line runs in northeast direction along the Sy. No. 40, 38 and 41 of Hadavalli village and reaches the northern most bi-junction point of Sy. Nos. 33 and 41 of Hadavallivillage.Then the line continuous along the northern boundary of Sy. No. 33 and the common village of Hadavalli, Hasaravalli and Halyani villages till it reach the tri-junction point of Hadavalli, Halyani and Murakodi villages. From this point the line runs along the common village boundary of Murakodi and Halyani villages till it reaches the northern most point of Sy. No. 4 of Murakodi village. Then the boundary runs towards southwest along the Sy. No. 29 of Halyani village till it reaches the stream and further runs along the stream which happens to be common village boundary of Halyani and Badebag villages where the Sy. No. 29 of Halyani village falls on stream which happens to be common point on Halyani and Badebag villages. Then the line runs in southwest direction and then along the northeast direction along the common village boundary of Halyani and Badebag villages which is tri-junction point of Halyani, Badebag and Hasaravalli villages. Further, the line continous in northeast direction along common village boundary of Badebag and Hasaravalli till it reaches the stream. Then the line runs along the stream in westward direction on the northern boundary of Badebag village which is common boundary of Badebag and Agga villages and further runs along western boundary of Agga villages till it reaches the Quadra-junction point of Agga, Henjile, Badebag and Koppa villages. From the above point the boundary line runs along the westwards, southwards and northwards and then eastwards along the Koppa village boundary which happens to be common village boundary of Koppa, Badebag, Hudil, Gadhalki, Kitre, Kotkhand, Biralkhand, Chikankod, Bengre, Kaikini, Mavalli, Kochodi, Sampolli, Adikekuli, Ashikeri till it reaches the tri-junction point of Ashikeri, Koppa and Magodu villages. From this point the line runs northwards along the eastern boundary of Ashikeri village till reaches the eastern tip of Sy. Nos. 7 & 2 which happens to be bi-junction point of Ashikeri&Magodu villages of HonnavaraTaluk. Then the line runs northeast along the common survey line of 90 and 91 of Magodu till it reaches the tri-junction point of Magodu, Shirkur and Kandodi villages. Then the line runs towards northeast along the common village boundary of Shirkur and Kandodi villages till it reaches the common tri-junction point of Shirkur, Kandodi and Heggaragadde (Nagarbasthikere) villages. Further, the line runs in eastward direction along the northern boundary of Kandodi village till it reaches the tri-junction point of Kandodi, Heggaragadde(Nagarbasthikere) and Hadgeri villages. Then the line runs along the northern boundary of Hadgeri village till it reaches the tri-junction point of Hadgeri, Begodi and NadavadaTalakalale (N-Talakalale) villages and further runs along the eastern boundaries Begodi and Heggargadde villages of HonnavaraTaluk, which happens to be the portion of NadavadaTalakalalevillage (Jog Reserve Forest 'A') boundary and continuous till it touches the Sharavathi River.

ANNEXURE- IIA

GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF SHARAVATI VALLEY WILDLIFE SANCTUARY AND 10 KM BUFFER ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS

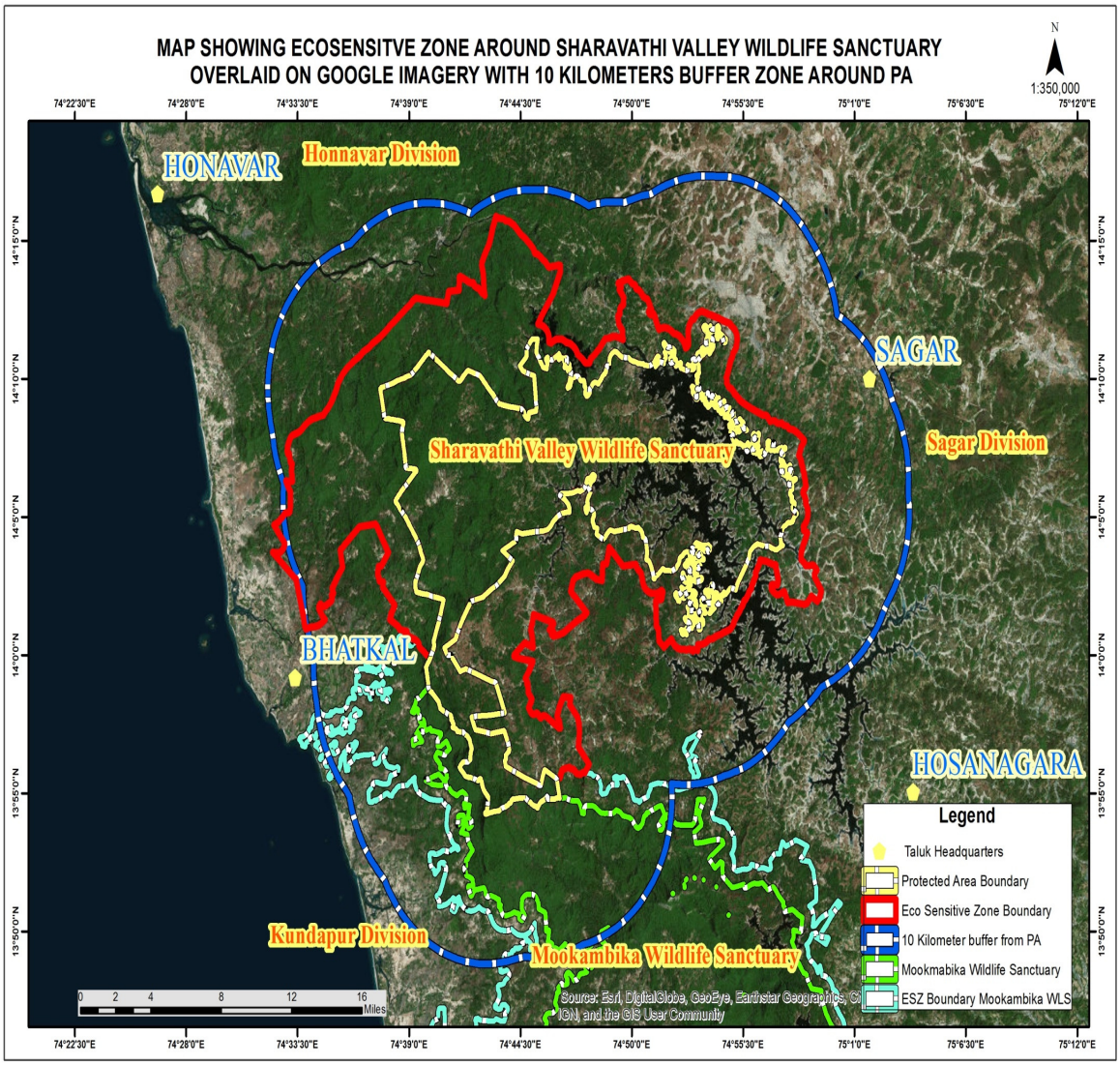

ANNEXURE- IIB

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF SHARAVATI VALLEY WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS

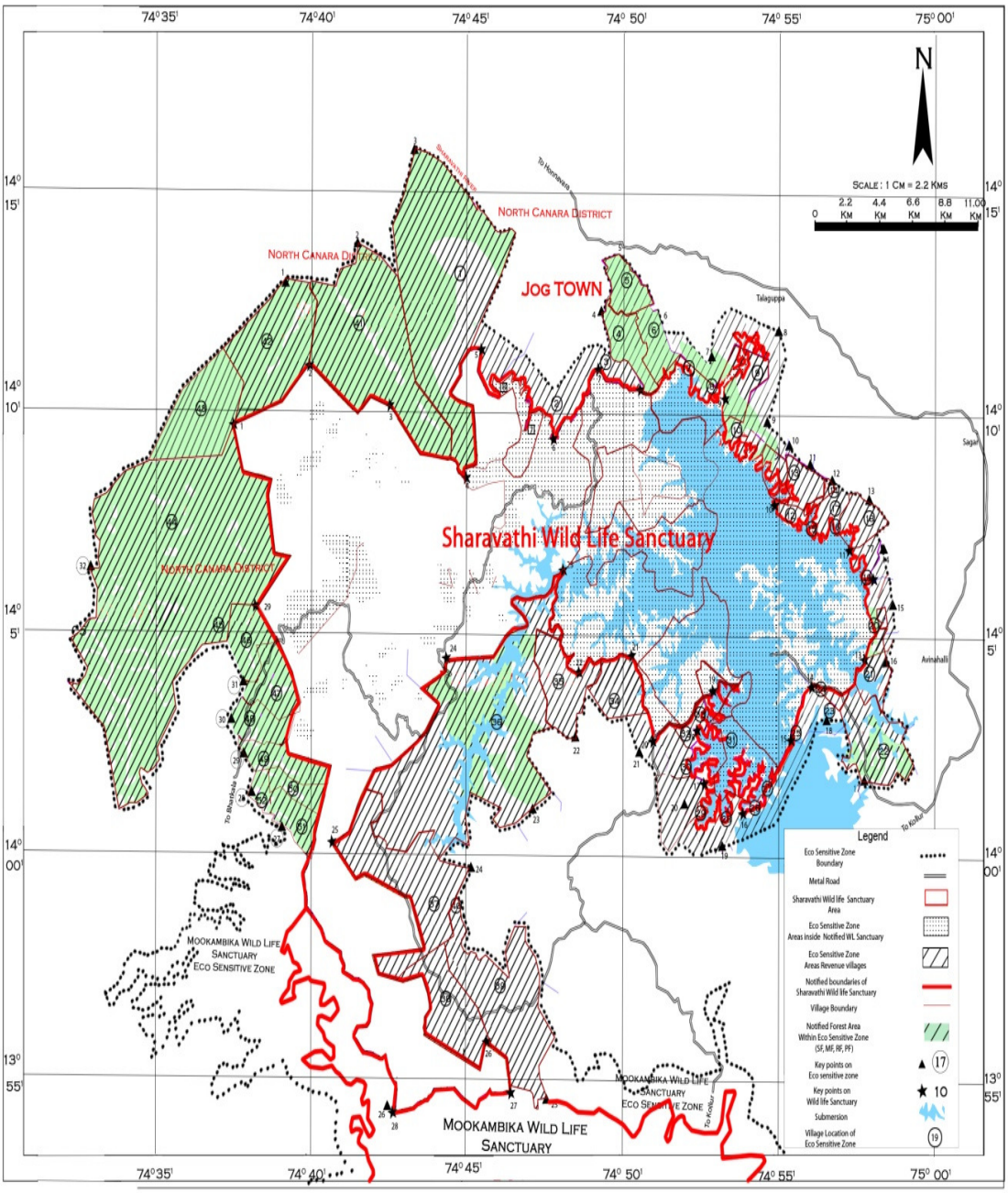

ANNEXURE- IIC

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF SHARAVATI VALLEY WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS ON SURVEY OF INDIA (SOI) TOPOSHEET

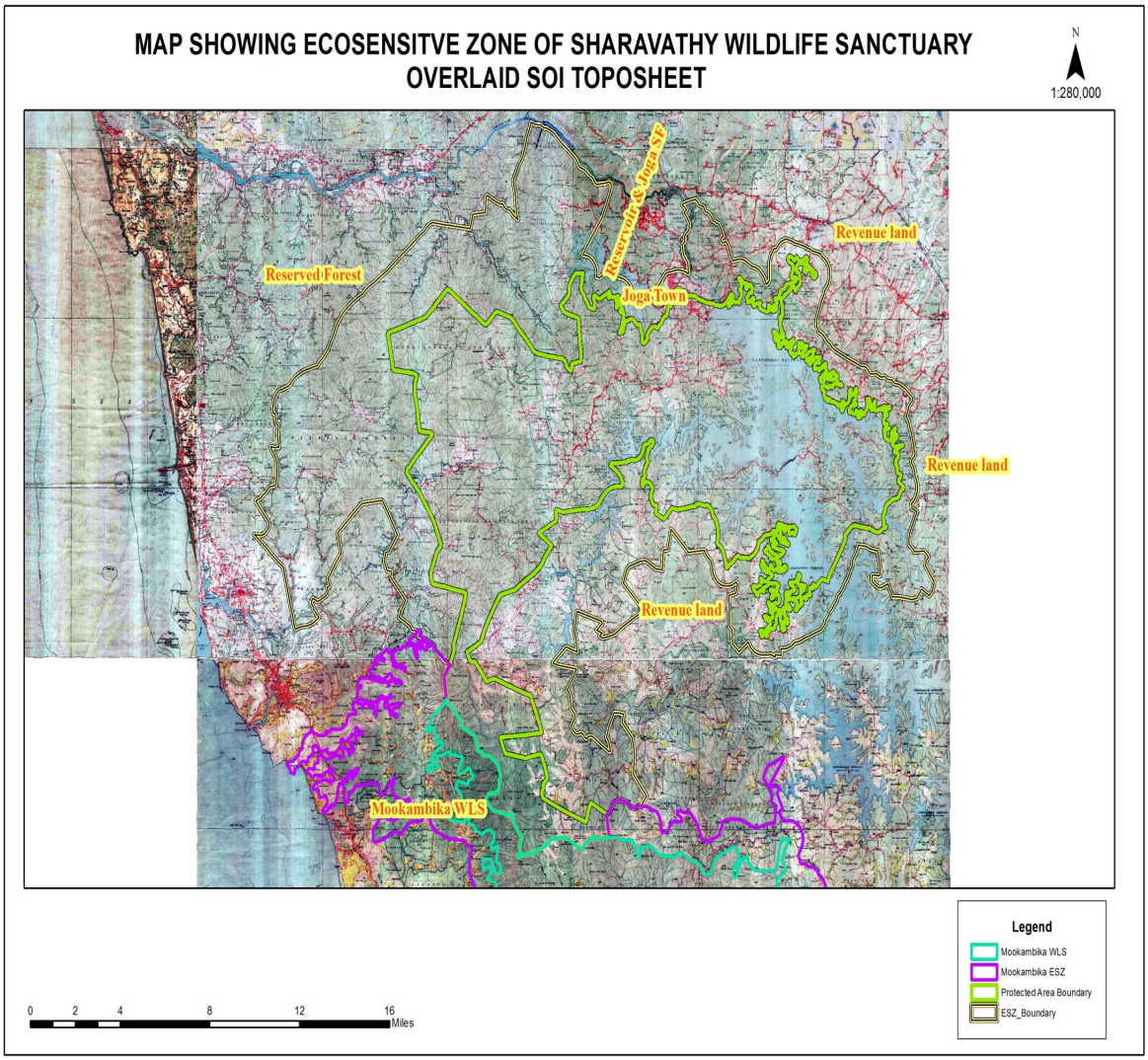

ANNEXURE- IID

MAP SHOWING LANDUSE PATTERN OF ECO-SENSITIVE ZONE OF SHARAVATI VALLEY WILDLIFE SANCTUARY WITH 10 KM BUFFER ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS

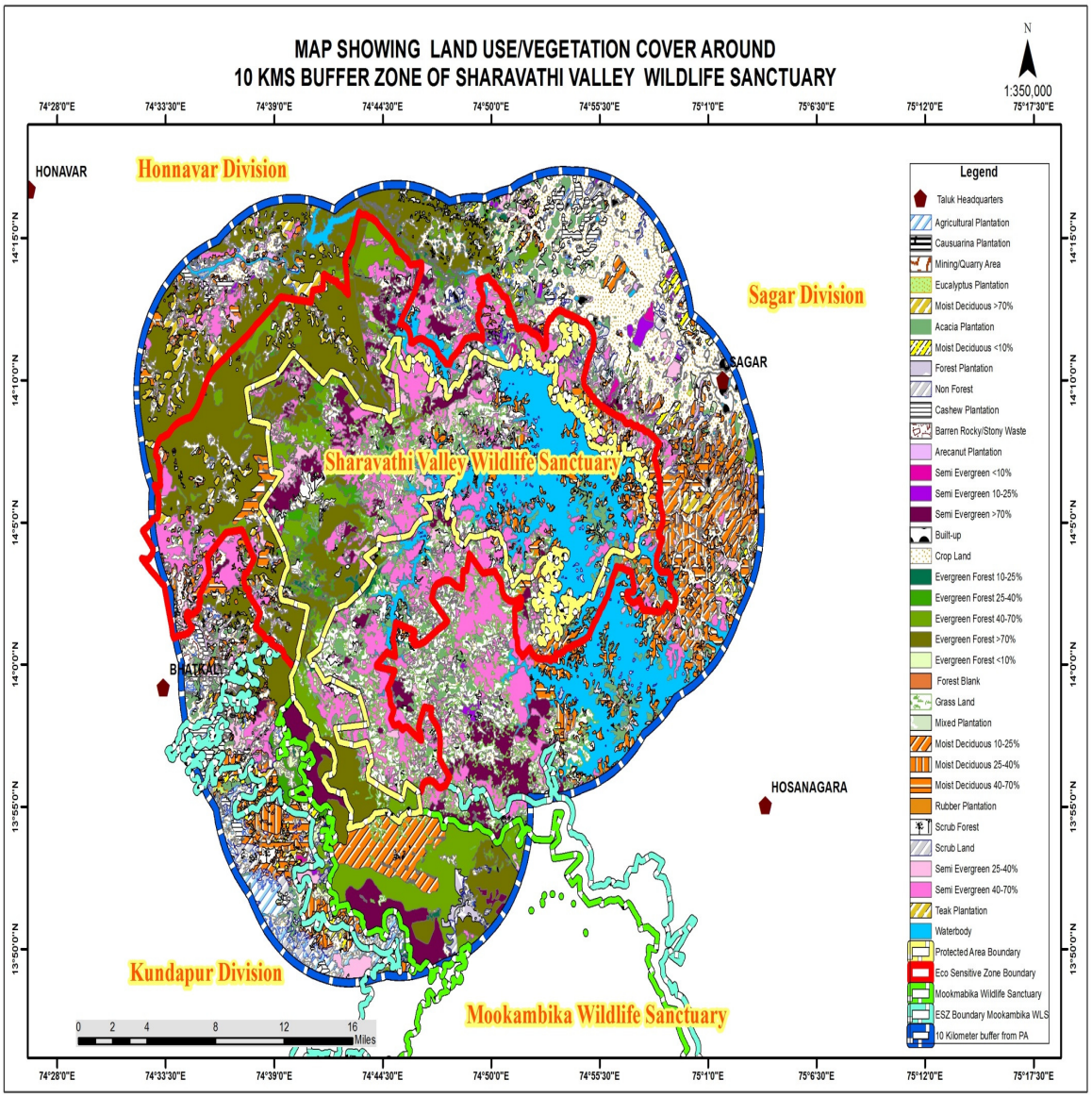

ANNEXURE-III

TABLE A: GEO- COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF SHARAVATI VALLEY WILDLIFE SANCTUARY

Map Id	Longitude	Latitude
1	74°37'31.87"E	14° 8'28.89"N
2	74°39'54.06"E	14° 9'28.74"N
3	74°42'34.16"E	14° 8'44.76"N
4	74°44'57.75"E	14° 7'29.46"N
5	74°45'29.93"E	14° 9'45.05"N
6	74°47'52.64"E	14° 8'6.09"N
7	74°49'13.20"E	14° 9'24.50"N
8	74°50'43.53"E	14° 9'3.67"N
9	74°53'27.41"E	14° 8'7.15"N
10	74°55'7.38"E	14° 6'59.20"N
11	74°57'40.76"E	14° 6'32.85"N
12	74°58'8.24"E	14° 5'40.38"N
13	74°57'43.28"E	14° 4'6.25"N
14	74°57'20.05"E	14° 3'42.81"N
15	74°55'42.40"E	14° 3'11.19"N
16	74°54'1.41"E	14° 1'31.31"N
17	74°52'44.41"E	14° 2'1.88"N
18	74°52'37.10"E	14° 3'1.30"N
19	74°53'11.68"E	14° 3'52.60"N
20	74°51'5.63"E	14° 2'48.14"N
21	74°50'19.60"E	14° 4'17.76"N
22	74°48'40.88"E	14° 3'59.19"N
23	74°48'9.60"E	14° 5'50.22"N
24	74°43'36.79"E	14° 3'45.65"N
25	74°40'41.23"E	14° 1'0.80"N
26	74°46'18.58"E	13°57'14.91"N
27	74°46'24.15"E	13°56'37.88"N
28	74°42'40.15"E	13°56'17.51"N
29	74°38'14.58"E	14° 5'13.45"N

TABLE B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO-SENSITIVE ZONE

Map Id	Longitude	Latitude
1	E 74^0 39^1 2.921''	N 14^0 11^1 34.114''
2	E 74^0 41^1 41.921''	N 14^0 12^1 9.017''
3	E 74^0 46^1 21.581''	N 14^0 09^1 42.497''
4	E 74^0 49^1 37.612	N 14^0 13^1 27.95''
5	E 74^0 80^1 30.94''	N 14^0 12^1 53.106''
6	E 74^0 51^1 8.785''	N 14^0 12^1 39.541''
7	E 74^0 52^1 34.02''	N 14^0 11^1 03.91''
8	E 74^0 55^1 07.48''	N 14^0 11^1 17.29''
8	E 74^0 55^1 07.48''	N 14^0 11^1 17.29''
9	E 74^0 54^1 56.01''	N 14^0 09^1 19.73''
10	E 74^0 55^1 47.59''	N 14^0 08^1 39.12''
11	E 74^0 56^1 39.18''	N 14^0 08^1 42.09''
12	E 74^0 57^1 04.91''	N 14^0 08^1 13.54''
13	E 74^0 58^1 12.22''	N 14^0 07^1 39.21''
14	E 74^0 58^1 38.22''	N 14^0 06^1 41.61''
15	E 74^0 58^1 44.75''	N 14^0 05^1 42.29''
16	E 74^0 59^1 10.84''	N 14^0 04^1 01.04''
17	E 74^0 00^1 4.786''	N 14^0 01^1 22.777''
18	E 74^0 57^1 04.86''	N 14^0 03^1 15.35''
19	E 74^0 54^1 12.62''	N 14^0 00^1 37.00''
20	E 74^0 51^1 48.45''	N 14^0 02^1 13.45''
21	E 74^0 50^1 40.00''	N 14^0 02^1 22.86''
22	E 74^0 48^1 36.056''	N 14^0 02^1 35.505''
23	E 74^0 47^1 51.742''	N 14^0 01^1 13.253''
24	E 74^0 45^1 8.357''	N 13^0 59^1 10.228''
25	E 74^0 46^1 36.475''	N 13^0 54^1 34.288''
26	E 74^0 42^1 40.15''	N 13^0 56^1 17.51''
27	E 74^0 39^1 5.506''	N 13^0 59^1 58.651''
28	E 74^0 40^1 6.216''	N 14^0 01^1 48.68''
29	E 74^0 38^1 55.165''	N 14^0 02^1 16.968''
30	E 74^0 38^1 40.824''	N 14^0 03^1 2.212''
31	E 74^0 38^1 48.702''	N 14^0 03^1 57.799''
32	E 74^0 35^1 47.726''	N 14^0 08^1 26.675''

ANNEXURE-IV

A. LIST OF VILLAGES COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF SHARAVATI VALLEY WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH GEO-COORDINATES

Map Id	Village name	Width of ESZ from the boundary of protected area	District	Extent in (Ha.)	Latitude (Degree, Minutes Seconds)			Longitude (Degree, Minutes Seconds)		
1	N.Talakalale	1 Km	Shivamogga	1788.22	14	9	42.49	74	46	21.58
2	N. Bedaruru	1 Km	Shivamogga	148.2	14	9	50.89	74	48	45.7
3	Bilagalur	1 Km	Shivamogga	277.2	14	11	36.08	74	47	39.99
4	Iduvani	Full	Shivamogga	216.71	14	13	27.95	74	49	37.61
5	Kantota	Full	Shivamogga	30.8	14	12	53.1	74	80	30.94
6	Horavalli	Full	Shivamogga	356.27	14	12	39.54	74	51	8.78
7	Hiremane	1 Km	Shivamogga	177.4	14	11	22.3	74	52	52.32
8	Honnemaradu	1 Km	Shivamogga	753.05	14	11	35.77	74	51	54.12
9	Bellanne	1 Km	Shivamogga	10.39	14	11	26.79	74	55	2.37
10	Balegaru	1 Km	Shivamogga	450.86	14	9	52.52	74	54	28.97
11	Nitlehaletota	1 Km	Shivamogga	500.03	14	9	28.35	74	55	7.66
12	Devasa	1 Km	Shivamogga	144	14	7	49.6	74	55	33.32
13	Maradavalli	1 Km	Shivamogga	195.4	14	9	11.36	74	55	52.16
14	Kesavinamane	1 Km	Shivamogga	7.65	14	8	12.96	74	57	10.63
15	Nadamalla	1 Km	Shivamogga	30	14	6	41.6	74	56	0.57
16	BrahamanaMalla	1 Km	Shivamogga	635	14	6	18.08	74	66	51.37
17	Hulkodu	1 Km	Shivamogga	225	14	7	40.97	74	57	24.17
18	Benkatavalli	1 Km	Shivamogga	168.6	14	8	13.66	74	57	52.92
19	Nadavadhalli	1 Km	Shivamogga	300	14	7	20.4	74	59	12.92
20	Chikkamathur	1 Km	Shivamogga	841	14	4	35.61	74	57	6.08
21	Mathikoppa	1 Km	Shivamogga	200	14	4	9.01	74	59	25.717
22	Besur	1 Km	Shivamogga	857.56	14	1	22.77	74	0	4.78
23	Kippadi	1 Km	Shivamogga	230	14	2	59.28	74	55	51.04
24	Ambargodlu	1 Km	Shivamogga	112	14	1	22.77	74	57	34.5
25	Kagarasu	1 Km	Shivamogga	172.12	14	4	72	74	55	27.49
26	Kiruvase	1 Km	Shivamogga	800	14	0	21.12	74	54	9.19
27	BrahamanaHaradhur	1 Km	Shivamogga	40	14	0	41.45	74	54	10.18
28	NadavadaKeppige	1 Km	Shivamogga	169.91	14	0	51.57	74	53	3.18
29	BrahamanaKeppige	1 Km	Shivamogga	106	14	0	33.82	74	51	53.75
30	Araballi	1 Km	Shivamogga	270	14	2	14.93	74	51	46.94
31	NadavadaAvadi	1 Km	Shivamogga	149.72	14	2	51.24	74	53	5.03
32	B.Hosahalli	1 Km	Shivamogga	220.89	14	3	18.15	74	52	18.82
33	Kalasavalli	1 Km	Shivamogga	21.34	14	4	45.97	74	52	7.43
34	Valagere	1 Km	Shivamogga	1000	14	3	45.97	74	50	3.29
35	Kallur	1 Km	Shivamogga	1128.17	14	2	35.5	74	48	36.05

36	Chennagonda	Full	Shivamogga	4506.96	14	1	13.25	74	47	52.74
37	Kattinakaru	1 Km	Shivamogga	1690.8	14	59	10.22	74	45	8.35
38	Karani	1 Km	Shivamogga	1359.78	14	56	22.98	74	45	52.96
39	Kodanahalli	1 Km	Shivamogga	2448.55	14	54	34.28	74	46	36.47
40	Bobbige	1 Km	Shivamogga	262.2	14	58	50.37	74	46	29.24
			Total: 24907.03							

TABLE B: LIST OF FOREST ENCLOSURE VILLAGES COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF SHARAVATI VALLEY WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH GEO-COORDINATES

Sl. No.	Name of the Enclosure	Name of the Village	Sy. No.	Extent	
				Acres	Gunta
1	Enclosure-1	Gudihitlu	7	30	0
2	Enclosure-2		17	25	0
3	Enclosure-3		9	50	0
4	Enclosure-4		23,33	70	0
5	Enclosure-5		43,37	50	0
6	Enclosure-6	Baliga	54,35	110	0
7	Enclosure-7		60,4,35,54	100	0
8	Enclosure-8		61	25	0
9	Enclosure-9		4	0	0
9A	Enclosure-9A		68	0	0
10	Enclosure-10	Nelleri	5,11,10	410	0
11	Enclosure-11	Nagavalli	60,89,42	1140	0
12	Enclosure-12		18	300	0
13			21	300	0
14	Enclosure-13	Urulugallu	41	100	0
15	Enclosure-14		41	100	0
15a	Enclosure-15		21	40	0
16			16	160	0
17	Enclosure-16		1	60	0
20	Enclosure-17		1	20	0
21			30	40	0
22	Enclosure-18		1	100	0
23	Enclosure-19	Kanur	41	20	0
24	Enclosure-19A		41	0	0
25	Enclosure-20		41	15	0
26	Enclosure-21		50	6	0
27	Enclosure-22		50	25	0
28	Enclosure-23		50	35	0
29	Enclosure-24		waste	104	0
30	Enclosure No-25	Kanapagaru	1231,03,111	887	14

31	Enclosure No-26		4,60,19	750	0
32	Enclosure No-26 A		76	0	0
33	Enclosure No-27		341,30,126	280	0
34	Enclosure No-28		66	90	0
35	Enclosure No-29		80	15	0
36	Enclosure No-30		125	120	0
37	Enclosure No-31		68	100	0
32	Enclosure No-32	Bhanukuli	36,5	120	0
33	Enclosure No-33		28,19	40	0
34	Enclosure No-34		19	0	0
35	Enclosure No-35		19	25	0
36	Enclosure No-36		57	250	0
37	Enclosure No-37		5	50	0
38	Enclosure No-38		3,56,52	60	0
39	Enclosure No-39		23,25	90	0
	Total:			**6312**	**14**
				2554.57 Ha	

C. DETAILS OF THE RESERVE/ NOTIFIED FORESTS WITHIN THE ECO-SENSITIVE ZONE OF SHARAVATHI VALLEY WILDLIFE SANCTUARY

Sl. No.	Division	Name of the Forest/ Village	Notification No. & Date	Area in Ha	*Legal Status
1.	Honnavara	Kulavadi	G.N.No.3647-A of 31-05-1898 G.N.No. S-36/9/5278-A of 01-05-1922	324.52	**RF**
2.	Honnavara	Onibagilu	G.N.No.3647-A of 31-05-1898	58.90	**RF**
3.	Honnavara	Kurandur	G.N.No.3647-A of 31-05-1898	346.42	**RF**
4.	Honnavara	Hadavalli	G.N.No.3647-A of 31-05-1898	279.55	**RF**
5.	Honnavara	Halyani	G.N.No.3647-A of 31-05-1898	519.99	**RF**
6.	Honnavara	Hasaravalli	G.N.No.3647-A of 31-05-1898	598.01	**RF**
7.	Honnavara	Agga	G.N.No.3647-A of 31-05-1898	215.68	**RF**
8.	Honnavara	Henjile	G.N.No.3647-A of 31-05-1898	291.88	**RF**
9.	Honnavara	Koppa	G.N.No.3647-A of 31-05-1898 G.N.No.8972 of 30-09-1922 G.N.No.6848 of 08-07-1919 G.N.No. S-35/9/13182 of 21-08-1923 G.N.No. S-36/9/5278-A of 01-05-1922	9100.40	**RF**
10.	Honnavara	Magodu	G.N.No.7309-B of 04-10-1897	1034.95	**RF**
11.	Honnavara	Kandodi	G.N.No.7309-B of 04-10-1897 G.N.A and FD FLD.2653.147724 -E of 24-12-1955	1748.36	**RF**
12.	Honnavara	Hadgeri	G.N.No.7309-B of 04-10-1897 G.N.A and FD No.FLD.2655/147724 -E of 24-12-1955	3629.13	**RF**
13.	Sagara	Channagonda	G. 2903-6 Ft. 53-35-2/16.10.1935.	1740.01	**RF**
14.	Sagara	Chennagonda	FEE 129FAF 93 Dt:09.02.1994	144.52	**PF**

15.	Sagara	Bellenne	R. 5845 Ft. 33-12-7 / Dt.12.4.1913.	735.74	**SF**
16.	Sagara	Besur	FEE-21-FAF-2004 Dt:21.09.2005	433.83	**RF**
17.	Sagara	Chikmathur	FFD 139 FAF 80 Dt:16.12.1981	305.54	**PF**
18.	Sagara	Kagarsi	FFD 127 FAF 80 Dt: 22.07.1980	49.88	**RF**
19.	Sagara	Jog "A" & "B" Block (Part)	R.5111 Ft. 46-08-7/ Dt. 22.1.1909.	3104.59	**SF**
20.	Sagara	Iduvani	R. 4224 Ft. 138-11-9/ Dt. 12.2.1913.	949.50	**SF**
			Total:	**25611.4**	

** RF: - Reserve Forest; SF: - State Forest; PF: - Protected Forest*

ANNEXURE –V

Performa of Action Taken Report:

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.08.10 17:59:24 +05'30'